

सरकारी योजनाओं की पुस्तिका

(महिला, किशोरी एवं बच्चों के लिए सरकारी योजनायें)



बिहार दलित विकास समिति
रुकनपुरा, पटना-800014



आमुख

यह प्रशिक्षण संदर्शिका, “सरकारी योजनाओं की पुस्तिका”, केंद्र और बिहार सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का संकलन है, जो वंचित वर्ग की महिला, किशोरी और बच्चों के लिए है। इस में अधिकतर योजनायें संविधान द्वारा परिभाषित ‘वंचित वर्ग’ के विकास के लिए बनाये गए योजनाओं में से लिये गये हैं।

सरकारी योजनाओं मुख्यतः दो प्रकार के हैं जो केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के द्वारा संचालित है। इस संदर्शिका में हमने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चों, के युवाओं तथा महिलाओं के लिए केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे कुछ प्रमुख योजनाओं को प्रस्तुत किये हैं। अक्सर यह देखा जाता है कि गरीबों के लिए जानकारी के अभाव में वंचित वर्ग कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं।

इस प्रदर्शिका के द्वारा हमारा यह प्रयास वर्तमान में चल रहे कुछ जरूरी योजनाओं के बारे में जानकारी दें तथा इससे सम्बंधित आवश्यक दस्तावेजों, संपर्क पता, स्त्रोंत आदि प्रस्तुत करें ताकि आम जनता और सामाजिक कार्यकर्ता इसका उपयोग आसानी से कर सकें और इन जरूरी योजनाओं का लाभ ले सकें।

इस संदर्शिका के लिए संकलन एवं निर्माण में जो भी साथी, विशेषकर करितास इंडिया के दाधिकारियों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आशा करता हूँ कि यह मार्गदर्शिका हमारे लक्षित समूह के लिए लाभदायक सिद्ध होगा।

निदेशक

B.D.V.S, Patna

1. केन्द्र सरकार की योजनाएं

1.1. बच्चों एवं युवाओं के लिए

1.1.1. समेकित बाल संरक्षण योजना

विभाग:— महिला एवं बाल विकास विभाग, भारत सरकार

विशेषताएँ:— इस योजना का मुख्य उद्देश्य है— बाल अधिकारों की रक्षा और बच्चों की देख रेख। समेकित बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत 18 वर्ष तक के कठिन परिस्थितियों में रहने वाले देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले तथा विधि विवादित बच्चों को संरक्षण, सहायता एवं पुनर्वास प्रदान किया जाता है। योजना के तहत प्रदेश में विभिन्न प्रकार के 142 गृह संचालित हैं। इन गृहों में बच्चों के लिए पोषण, शिक्षण, प्रशिक्षण स्वास्थ्य एवं पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है।

समेकित बाल संरक्षण योजना सभी बच्चों, विशेष रूप से कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के समग्र कल्याण एवं पुनर्वास हेतु बाल संरक्षण की अन्य योजनाओं को केन्द्रीय रूप में सम्मिलित कर प्रारम्भ की गई है। यह योजना बच्चों के बाल अधिकार, संरक्षण और सर्वोत्तम बाल हित की दिशा निर्देशक सिद्धान्तों पर आधारित है।

उक्त योजना के तहत किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 का क्रियान्वयन भी मुख्य घटक है। इस अधिनियम के तहत 18 वर्ष से कम आयु के विधि विरोधी कार्यों में संलिप्त बालकों तथा देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालकों को संरक्षण, भरण—पोषण, शिक्षण—प्रशिक्षण तथा व्यवसायिक एवं पारिवारिक पुनर्वास मुख्य उद्देश्य है।

इन बच्चों को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्यों के तहत 30 शासकीय संस्थाएँ, यथा 18 सम्प्रेक्षण गृह, 6 बालगृह, 2 पश्चात्कर्ती गृह, 1 शिशुगृह तथा 95 अशासकीय संस्थाएँ यथा 32 शिशु गृह, 46 बाल गृह, 8 आश्रय गृह एवं 9 बाल आश्रय।

उपरोक्त दोनों श्रेणियों के बालकों के प्रकरणों के निराकरण हेतु 51 किशोर न्याय बोर्ड एवं 51 बाल कल्याण समितियाँ स्थापित हैं। समेकित बाल संरक्षण योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर जिला बाल संरक्षण समितियों का गठन किया गया है। जिलों में संचालित उक्त समितियों में रहने वाले बच्चों के समग्र कल्याण व पुनर्वास तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सक्षम एवं उत्तरदायी हैं जिला स्तरीय समितियों की निगरानी एवं मूल्यांकन का कार्य राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय समितियों यथा राज्य बाल संरक्षण समिति एवं राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण द्वारा किया जाता है।

योजना के लाभार्थी:— गरीब बच्चे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के बच्चे, अनाथ बच्चे, भिक्षावृत्ति करने वाले बच्चे, भेदभाव से पीड़ित बच्चे, नशीली दवाओं या पदार्थों के सेवन करने

वाले बच्चे, यौन रूप से शोषित बच्चे और गली-कूची में रहने वाले बच्चे, असुरक्षित और जोखिम में पड़े बच्चे।
प्रक्रिया / दस्तावेज: आवेदक बच्चे हो।

सम्पर्क पता / अधिकारी:— 1098 से संपर्क अथवा स्थानीय थाना या स्थानीय एन.जी.ओ. से संपर्क

6. प्रपत्र:—

7. श्रोत:

1.1.2. बालिका समृद्धि योजना

विभाग:— महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

विशेषताएँ:— बालिका के जन्म होने के पश्चात उसके नाम से 500 /— प्रति बालिका जमा करने के बाद वह बालिका स्कूल जाने के उम्र तक वार्षिक छात्रवृत्ति के लिए योग्य हो जाती है, जिसका भुगतान निम्नवत किया जाता है: वर्ग 1-3 — 300 /— प्रतिवर्ष, वर्ग 4 — 500 /—रु. प्रतिवर्ष, वर्ग 5 — 600 /—रु. प्रतिवर्ष, वर्ग 6-7 — 700 /—रु. प्रतिवर्ष, वर्ग 8 — 900 /—रु. प्रतिवर्ष, वर्ग 9, 10 — 1000 /—रु. प्रतिवर्ष दिया जाता है।

योजना के लाभार्थी:— गरीबी रेखा से नीचे निवास करने वाले परिवार के उन बालिकाओं को लाभ दिया जाता है जिनका जन्म 15 अगस्त, 1997 या उसके बाद हुआ। परिवार के दो बालिकाओं को।

प्रक्रिया / दस्तावेज:— बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, आवेदन सी.डी.पी.ओ. कार्यालय से प्राप्त कर आंगनबाड़ी सेविका / सहायिका अथवा ए.एन.एम. से अनंशंसित

सम्पर्क पता / अधिकारी:— महिला

श्रोत:— www.india.gov.in/balika-samriddhi-yojna

टिप्पणी:— गरीबी रेखा से नीचे निवास करने वाले परिवार के उन बालिकाओं को लाभ दिया जाता है जिनका जन्म 15 अगस्त, 1997 या उसके बाद हुआ।

1.1.3. सुकन्या समृद्धि योजना

योजना के बारे में विवरण:

विभाग:— महिला एवं बाल विकास विभाग

विशेषताएँ:— इस योजना की न्यूनतम जमा राशि 250 रुपये तथा अधिकतम जमा राशि 1 लाख 50 हजार है, 14 साल तक पैसा जमा किया जाता है, खाते पर 8.40% का ब्याज मिलता है तथा आयकर अधिनियम में छूट का प्रावधान है।

योजना के लाभार्थी: —

- जन्म से 10 साल तक की बालिकाओं के लिए है।
- राज्य का मूलवासी होना चाहिए।
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 72000 / घ (प्रति वर्ष) से अधिक नहीं होनी चाहिए
- एक ही परिवार की अधिकतम दो लड़कियां इस योजना का लाभ उठा सकती हैं
- बीपीएल परिवारों या आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियाँ इस का लाभ उठा सकेंगी।
- अगर लड़की की शादी 20 वर्ष की उम्र के बाद होती है तो 40,000 /—रु. की प्रोत्साहिन राशि दी जाएगी।

प्रक्रिया / दस्तावेज:— बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, माता—पिता का फोटो प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, बालिका और माता—पिता का फोटो। खाता खोलने के लिए आवेदन अपने नजदीकी बैंक शाखा / डाकघर में दिया जा सकता है।

सम्पर्क पता / अधिकारी:— प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना

7. श्रोत:— <https://www.india.gov.in/sukanya-samriddhi-yojna>,

<https://pmmodiyojana.in/sukanya-samriddhi-yojana/>

टिप्पणी:— जन्म से 10 साल तक की बालिकाओं के लिए है।

1.1.4. प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति (अल्पसंख्यक)

योजना के बारे में विवरण:

विभाग:— अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

विशेषताएँ:— वर्ग 1 से 5 तक वित्तीय सहायता छात्रों को भरण—पोषण भत्ता। वर्ग 6 से 10 तक भरण पोषण भत्ता और पाठ्यक्रम के फीस का भुगतान। यह अल्पसंख्यक समुदाय के कक्षा 1 से 10 तक के छात्र / छात्राओं के लिए है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित अभिभावकों को अपने वित्तीय बोझ को हल्का करके अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करना और बच्चों को स्कूली शिक्षा पूरी करने के लिए समर्थन देना है।

इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित तरीके से सरकार का अनुदान पाने का प्रावधान है:—

- कक्षा 6 से 10 (हॉस्टलर्स और डे स्कॉलर्स) के लिए प्रवेश शुल्क 500 प्रति वर्ष
- कक्षा 6 से 10 (हॉस्टलर्स और डे स्कॉलर्स) के लिए ट्यूशन शुल्क 350 प्रति माह

- एक शैक्षणिक वर्ष में 10 महीने के लिए रखरखाव भत्ता

(डे स्कॉलर्स): कक्षा 1 से 5 के लिए 100 प्रति माह

- एक शैक्षणिक वर्ष (हॉस्टलर्स) में 10 महीने के लिए रखरखाव भत्ता
- कक्षा 6 से 10 के लिए प्रति माह 600
- एक शैक्षणिक वर्ष में 10 महीने के लिए रखरखाव भत्ता

कक्षा 6 से 10 के लिए प्रति माह 100

योजना के लाभार्थी:— वर्ग 1 से 10 तक पढ़ने वाले छात्र/छात्रा। लाभार्थी के अभिभावक की वार्षिक आय अधिकतम 1 लाख रु. हो। साथ ही कक्षा 1 से 10 तक की पढ़ाई जारी होनी चाहिए।

प्रक्रिया/दस्तावेज:— बीते वर्ष का मार्कशीट, जाति एवं आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, विद्यार्थी का फोटो, अल्पसंख्यक समुदाय प्रमाण पत्र, छात्र के नाम पर बैंक खाता या माता-पिता के साथ संयुक्त बैंक खाता विद्यालय का प्रमाण पत्र एवं फीस की जानकारी। कम से कम 50: अंक लाना अनिवार्य होगा।

सम्पर्क पता/अधिकारी: 0120-6619540 या मिस चकमो/देवणहवा अण्ड पर संपर्क करें। सभी दस्तावेजों की हार्ड कॉपी अपने संबंधित संस्थान में जमा करना होगा।

प्रपत्र:— संबंधित विद्यालय के द्वारा दिया जाएगा या जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी से संपर्क करें।

श्रोत:— समग्र योजना दर्पण-लेखक डी. पी. सिन्हा, नूतनपहीजवा दवूसमहमण्डए नूनेबीवसंतीपच. मिससवौपचणवउ

टिप्पणी:— केंद्र सरकार (75:) एवं राज्य सरकार (25:), गरीब बच्चे जिनके अभिभावक की वार्षिक आय अधिकतम 1 लाख या उससे कम है, उन्हें उपर्युक्त लाभ मिलेगा।

1.2. वृद्ध एवं महिलाओं के लिए

1.2.1. इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

योजना के बारे में विवरण:

विभाग:— ग्रामीण विकास विभाग, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार।

विशेषताएँ:— राज्य के बी.पी.एल. परिवारों के 60 वर्ष के ऊपर के वृद्ध जनों को पेंशन। 60—79 वर्ष के व्यक्ति को 400 रु. (200 रु. केंद्र सरकार, 200 रु. राज्य सरकार) द्वारा प्रति माह दिया जाता है। 80 वर्ष के ऊपर के व्यक्तियों को 500 प्रति माह केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है।

योजना के लाभार्थी:

- आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए
- आवेदक का परिवार राष्ट्रीय स्तर पर परिभाषित गरीबी रेखा के नीचे रहता हो
- आवेदक को सरकार से अन्य कोई पेंशन प्राप्त नहीं होना चाहिए
- आवेदक के पास योजना का लाभ पाने के लिए निषेधित मानदंड में सूचीबद्ध/वर्णित संपत्ति नहीं होनी चाहिए

प्रक्रिया/दस्तावेज:— फोरम संबंधिक ब्लॉक/अनुमंडल से मिलेगा। फोरम को प्रखण्ड के तज्जै काउन्टर पर जमा होता है। जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बी.पी.एल. कार्ड, वोटर कार्ड या आधार कार्ड। निर्धारित प्रारूप पत्र में आवेदन

सम्पर्क पता/अधिकारी: जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी,

प्रपत्र:

श्रोत:— www.righttoknowlege.com, www.vikashpedia.in

टिप्पणी:— डिजिटाइज पेंशनधारियों की संख्या 42.92 लाख है जिसमें से 36.23 लाख पेंशनधारियों की खाता संकया उपलब्ध है।

1.2.2. इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना

योजना के बारे में विवरण:

विभाग:— ग्रामीण विकास मंत्रालय, केंद्र सरकार, राज्य सरकार

विशेषताएँ:— इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर परिभाषित गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली विधवाओं को मासिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। विधवा महिलाओं को 400 रु. (300 केंद्र सरकार एवं 100 रु. राज्य सरकार द्वारा) प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है। इस योजनान्तर्गत डिजिटलाइज्ड पेंशनधारियों की संख्या 1.42 लाख है, जिसमें 4.60 लाख पेंशनधारियों का खाता संख्या उपलब्ध है।

योजना के लाभार्थी:—

- लाभार्थी विधवा महिला हो और 40 से 79 वर्ष की आयु की हो। लाभार्थी बी.पी.एल. परिवार की होनी चाहिए।
- आवेदक गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हो।
- आवेदक को सरकार से कोई अन्य पेंशन प्राप्त नहीं होना चाहिए।
- आवेदक के पास योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निषेधित मानदंड में सूचीबद्ध / वर्णित संपत्ति नहीं होना चाहिए।

प्रक्रिया / दस्तावेज:— आधार कार्ड, बीपीएल कार्ड, मृत पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, 3 पासपोर्ट साइज का फोटो, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता।

आवेदन जमा करने के लिए दस्तावेज:

- निर्धारित प्रारूप पत्र में आवेदन
- प्रखंड विकास अधिकारी या अंचल अधिकारी द्वारा गरीबी रेखा प्रमाण-पत्र
- वोटर आईडी कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति
- आधार कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति
- बैंक पासबुक या पोस्ट ऑफिस पासबुक की स्व-सत्यापित प्रति
- पति के मृत्यु प्रमाण-पत्र की स्व-सत्यापित प्रति

सम्पर्क पता / अधिकारी:— सामाजिक कल्याण विभाग से संपर्क करें। ऑनलाइन आवेदन भी दे सकते हैं या अपने अनुमंडल से संपर्क कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रखंड विकास पदाधिकारी और शहरी क्षेत्रों में अंचल अधिकारी।

प्रपत्र:

श्रोत:— समग्र योजना दर्पण— लेखक—डी.पी. सिन्हा, www.righttoknowledge.com,

<https://cdn.s3waas.gov.in/>

<http://nsap.nic.in/>

टिप्पणी:— आवेदन फॉर्म दो प्रतियों में भरकर प्रखंड कार्यालय के आर.टी.पी.एस. काउंटर पर जमा कराएँ व पावती अवश्य लें।

1.2.3. लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

योजना के बारे में विवरण:

विभाग:— सामाजिक सुरक्षा विभाग, राज्य सरकार

विशेषताएँ:— इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे आनेवाले नागरिक जो अपना जीवन यापन करने वाली विधवा महिलाओं को पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवा को प्रतिमाह 400 रु. पेंशन दिया जाता है।

योजना के लाभार्थी:— लाभार्थी 18 वर्ष या उससे ऊपर के आयु की होनी चाहिए तथा बी.पी.एल. परिवार की हो। लाभार्थी का वार्षिक आय 60,000 से कम और इंदिरा गांधी विधवा पेंशन के अंतर्गत अछादित नहीं हो।

प्रक्रिया/दस्तावेज:— आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बीपीएल राशन कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ईमेल आईडी, पहचान पत्र, पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र।

सम्पर्क पता/अधिकारी:— डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक ऑफिस या ट्यूँ काउन्टर से संपर्क करें। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

प्रपत्र:

श्रोत:— www.jslps.org, www.vikaspedia.in, <https://serviceonline.bihar.gov.in/>

टिप्पणी:— इसमें शत प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है।

1.2.4. सुरक्षित प्रसव एवं मातृत्व योजना

योजना के बारे में विवरण

विभाग: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, केंद्र सरकार

विशेषताएँ: प्रधानमंत्री सुरक्षित प्रसव एवं मातृत्व योजना पहली बार गर्भवती होने वाली महिलाओं को 5000/- की धनराशि प्रदान की जाती है। इसके अन्तर्गत प्रसव सरकारी या प्राइवेट अस्पताल कहीं भी करवा सकती हैं। यह धनराशि गर्भवती महिलाओं के पोषण के लिए दी जाती है। गर्भवती की नियमित जांच,

टीके लगाना एवं साफ-सफाई पर ध्यान देना।

योजना के लाभार्थी:— इस योजना के लाभार्थी गर्भवती महिलाएँ हैं। लाभार्थी भारत की नागरिक हो।

प्रक्रिया / दस्तावेज:— अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।

सम्पर्क पता / अधिकारी: च्डैड। मोबाईल एप्लीकेशन डाउनलोड करके नजदीकी केंद्र का पता कर सकते हैं या से पता कर सकते हैं। www.pmsma.nsp.gov.in से पता करें।

प्रपत्र:

श्रोत:— समग्र योजना दर्पण — डी.पी. सिन्हा, www.pmsma.nsp.gov.in

टिप्पणी:— गर्भास्था के दूसरे / तीसरे तिमाही में सभी गर्भवती महिलाओं को हर महीने के 9वें दिन निश्चित दिन निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व देखभाल प्रदान करना। जांच के दौरान अगर कुछ कमियाँ मिलती हैं तो उनके सुधार के लिए इलाज कराया जाएगा।

1.2.5. महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम

योजना के बारे में विवरण:

विभाग:— कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार

विशेषताएँ:— इस योजना के अंतर्गत 100 प्रतिशत सहायता—कृषि, पशुपालन, डेयरी उद्योग, मछली पालन, हस्तकरघा, हस्तशिल्प खादी, ग्रामोद्योग, रेशम उत्पादन, सामाजिक वाणिकी और बंजर भूमि विकास के लिए सहायता दिया जाता है।

योजना के लाभार्थी:— दंपति विहीन ग्रामीण एवं शहरी निर्धन महिला, श्रमिक प्रधान महिलाएँ। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं पर विशेष बल दिया जाता है।

प्रक्रिया / दस्तावेज:— पैन कार्ड, आधार कार्ड, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, बैंक स्टेटमेंट, फोटो, जाति, आय प्रमाण पत्र।

सम्पर्क पता / अधिकारी:— जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, प्रथम तल, जीवन दीप बिल्डिंग, संसद मार्ग नई दिल्ली-1100001, फोन-011-3743978 या जीवन मुख्यालय से ली जा सकती है।

प्रपत्र:

श्रोत:— समग्र योजना दर्पण — डी.पी. सिन्हा।

टिप्पणी:— ग्रामीण एवं शहरी महिलाओं के विकास के लिए उन्हें रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। केंद्र सरकार (50:) एवं राज्य सरकार (50:)

सरकारी योजना

सरकारी योजनाएं क्या, क्यों, कैसे, किससे, किसके लिए

क) केन्द्र सरकार ख) बिहार सरकार

1.2.6. योजना का नाम: प्रसूति (मातृत्व) प्रसुविधा

योजना के बारे में विवरण

विभाग:— महिला एवं बाल विकास विभाग, केन्द्र सरकार

विशेषताएँ:

(क) अधिनियम 1961 की धारा 4 (1) के तहत प्रावधान के अनुसार कोई भी नियोजक महिला का बच्चा उनसे या गर्भपात होने की तिथि से छः सप्ताह तक काम पर नहीं लगायेगा। इस हाल में छब्बीस सप्ताह का वेतन सहित का अवकाश का प्रावधान है।

(ख) इस अधिनियम की धारा 10 के तहत किसी महिला के गर्भावस्था से उत्पन्न बीमारी बच्चे के जन्म अथवा अपरिपक्व की हालत में छः माह की छुट्टी के अलावा चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर एक माह अतिरिक्त अवकाश प्राप्त करने की प्रावधान है।

(ग) बंध्याकरण करवाने वाली महिला कर्मकारों को दो सप्ताह का वेतन सहित अवकाश का प्रावधान है।

(घ) प्रसूति लाभ के दौरान महिला को सेवा से हटा देता या सेवा मुक्त करता है तो धारा-12 (1) के तहत गैरकानूनी माना जाएगा।

योजना के लाभार्थी:— गर्भवती महिला

प्रक्रिया / दस्तावेज:— नियोजक से संपर्क करें।

सम्पर्क पता / अधिकारी:— नियोजक कार्यालय से संपर्क करें।

प्रपत्र:

श्रोत:— समग्र योजना दर्पण, 2023

1.2.7. योजना का नाम: जननी सुरक्षा योजना

योजना के बारे में विवरण

1. विभाग: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

विशेषताएँ: इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र की जननी को 1400 रुपये और शहरी क्षेत्र की जननी को 1000 रुपये की सहायता राशि मुहैया कराई जाती है।

योजना के लाभार्थी:— ग्रामीण एवं शहरी गर्भवती महिला: ग्रामीण एवं शहरी गर्भवती महिला प्रक्रिया/दस्तावेज: गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करनेवाली महिला हो, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड होना चाहिए। प्रसव के लिए गर्भवती को नजदीकी अनुमंडलीय अस्पताल में ले कर जाएँ।

सम्पर्क पता/अधिकारी:— हेल्पलाइन नं.—0522.2239306

प्रपत्र:

श्रोत :— wikipedia.org

टिप्पणी: इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत प्रसव प्रोत्साहन के लिए ग्रामीण क्षेत्र की आशा सहयोगियों को 600 रुपये और शहरी क्षेत्र की आशा सहयोगियों को 400 रुपये देने का भी प्रावधान है।

1.3 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यकों के लिए

1.3.1. अनुसूचित जाति और अन्य के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

योजना के बारे में विवरण

विभाग:— सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, राज्य सरकार

विशेषताएँ:— अनुसूचित जाति और अन्य के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना एक केंद्र है और इसे राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के माध्यम से लागू किया जाता है।

योजना के उद्देश्य :—

- प्री-मैट्रिक स्तर पर पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा के लिए अनुसूचित जाति और अन्य वंचित श्रेणियों के बच्चों के माता-पिता का समर्थन करना ताकि उनकी भागीदारी में सुधार हो।
- ड्रॉप-आउट की घटना की घटना विशेष रूप से प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक के क्रम में कम है।
- छात्र बेहतर प्रयास करते हैं और उनके पास शिक्षा के मैट्रिकोत्तर चरा में प्रगति करने का बेहतर अवसर होता है।

यह योजना केवल भारत में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए उपलब्ध है और यह उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी जहाँ से आवेदक संबंधित है यानी जहाँ वह निवास करता है।

योजना के लाभार्थी :—

1. अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति में छात्रों को पूर्णकालिक आधार पर कक्षा IX और X में अध्ययन करना चाहिए।
 - छात्रों को अनुसूचित जाति से संबंधित होना चाहिए।
 - उनके माता-पिता/अभिभावक की आय 2.50,000/— से अधिक नहीं होनी चाहिए।
 2. अस्वच्छ और खतरनाक व्यवसायों में लगे माता-पिता/अभिभावकों के बच्चों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति में छात्रों को—
 - पूर्णकालिक आधार पर कक्षा I से X में अध्ययन करना चाहिए।
 - छात्रवृत्ति माता-पिता/अभिभावकों के बच्चों/वार्डों के लिए स्वीकार्य होगी, जो उनकी जाति/धर्म के बावजूद निम्नलिखित श्रेणियों में से एक हैं।
- वह व्यक्ति जो मैनुअल स्कैवेंजर्स अधिनियम 2013 की धारा 2(1)(ह) के तहत परिभाषित मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं।

- टेनर और प्लेयर्स :
- कूड़ा बीनने वाले और
- मैला ढोने वाले अधिनियम 2013 की धारा 2(1)(डी) में परिभाषित खतरनाक सफाई में लगे व्यक्ति

योग्य उम्मीदवारों को जिला समाज कल्याण अधिकारी / योग्य नागरिक एजेंसी / राज्य सरकार द्वारा नामित किसी भी प्राधिकरण से एक प्रमाण पत्र जमा करना होगा।

• आय सीमा :—

(1) माता—पिता / अभिभावक की सभी स्रोतों से आय 2,50,000 /— रुपये से अधिक नहीं हो। (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र प्रति वर्ष)

(2) कोई पारिवारिक आय सीमा नहीं

छात्रवृत्ति की दर :— 2022—23 के प्रभाव से, छात्रों को निम्नानुसार एक समेकित शैक्षणिक भत्ता दिया जाएगा:

दिन के विद्यार्थी— 3500 /— प्रतिवर्ष

घटक 1 — 7000 /— प्रतिवर्ष

घटक 2 — हॉस्टलर्स (कक्षा प्ले से र के लिए) — 8000 /— प्रतिवर्ष

प्रक्रिया / दस्तावेज :—

- छात्र के शैक्षिक दस्तावेज
- छात्र की बैंक खाता संख्या और बैंक शाखा IFSC कोड
- आधार संख्या
- यदि आधार उपलब्ध नहीं है, तो संस्थान से / स्कूल से बोनाफाइड छात्र प्रमाण पत्र।
- आधार नामांकन आईडी या बैंक पासबुक की स्कैन की हुई प्रति
- यदि संस्थान है अलग से राज्य अधिवास के आवेदक स्कूल तो संस्थान से स्कूल पत्र। प्रमाण छात्र बोनाफाइड।

सम्पर्क पता / अधिकारी :— यह योजना राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। आवेदन राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) (<https://scholarships.gov.in>) पर हर साल अप्रैल के महीने में आमंत्रित किए जाते हैं, जहाँ आवेदन का प्रारंभिक पंजीकरण किया जाता है। आवेदक को राज्य पोर्टल पर आवेदन भरने की अनुमति देने के लिए पंजीकृत उम्मीदवार का विवरण राज्यों के साथ साझा

किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए कृपया योजना दिशा-निर्देशों को देखें।

स्रोत:— <https://socialjustice.gov.in/schemes/23>

1.3.2. अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति

भारत में अध्ययन के लिए अनुसूचित जातियों से संबंधित छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति की योजना :—

1. योजना का उद्देश्य सकल नामांकन में सराहनीय वृद्धि करना है। सबसे गरीब परिवारों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति के छात्रों का नामांकन अनुपात, उन्हें अपनी शिक्षा पूरी करने में सक्षम बनाने के लिए मैट्रिक के बाद या माध्यमिक स्तर के बाद वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
2. ये छात्रवृत्तियाँ केवल भारत में अध्ययन के लिए उपलब्ध है और पुरस्कार विजेताओं का चयन राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा किया जाता है, जिससे आवेदक वास्तव में संबंधित है अर्थात् वह राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, जिसमें स्थायी रूप से बस गए हैं या अधिवासित हैं, अधिवास की शर्तों के अनुसार तय किया गया है।
3. यह उन सभी छात्रों पर लागू होता है, जो वर्तमान में इस योजना के लाभार्थी हैं और साथ ही नए प्रवेश भी हैं।
4. सम्पूर्ण योजना दिशानिर्देश नीचे दिये गए स्रोत में है।

स्रोत:— <https://socialjustice.gov.in/schemes/25>

1.3.5. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना

विभाग :— सूक्ष्म, लघु और मध्यम, उद्यम मंत्रालय।

विशेषताएँ :— अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों की व्यवसायिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए नेशनल एसी-एसटी हब स्थापित किया गया ताकि सूक्ष्म एवं लघु उद्यमी केन्द्रीय सरकार की सरकारी खरीद नीति आदेश 2012 के अंतर्गत दायित्व पूरा करने के लिए, प्रचलित व्यवसाय पद्धतियाँ अपनाने और स्टैंड अप प्रक्रिया पहल का लाभ उठा सकें। इसे वर्ष 2016 में शुरू किया गया था।

योजना के लाभार्थी :— आवेदक भारत का नागरिक हो। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्य हो। गरीबी रेखा से नीचे हो तथा सबके पास बी.पी.एल. कार्ड हो।

प्रक्रिया/दस्तावेज :— ऑनलाइन/ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड,

राशन कार्ड, जाति प्रमाण-पत्र की छायाप्रति आवश्यक है।

सम्पर्क पता / अधिकारी :- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पदाधिकारी।

टिप्पणी :- सरकार विभिन्न वस्तुओं के सबसे बड़ा खरीदार है। छोटे व्यापारियों से खरीदने की उद्देश्य से और उनके आमदनी बढ़ाने के लिए यह योजना बनाई गई थी। विशेषकर अनुसूचित जाति और जनजाति उद्यमियों से खरीदने की इच्छा से यह योजना चालू की गई थी।

प्रपत्र:- आवेदन कॉमन सर्विस सेन्टर से ऑनलाइन कर सकते हैं। www.nsicspronlin.com

स्रोत :- <https://www.scsthub.in/>

1.4. किसानों के लिए

1.4.1. योजना का नाम: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना

विभाग:— कृषि विभाग, केन्द्र सरकार

विशेषताएँ:— इस योजना के अन्तर्गत सभी छोटे और सीमांत भूमिधारी किसान परिवारों को सीधे वित्तीय सहायता पहुँचाकर कृषि एवं घरेलू जरूरतों के खर्च में सहायता पहुँचाना है। योजना में सम्पूर्ण वित्तीय दायित्व भारत सरकार द्वारा वहन किया जायगा। 2 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि धारक किसान परिवार को 6000 रूपए प्रति वर्ष का लाभ प्रत्येक चार महीने में समान किस्तों में दिया जायगा।

योजना के लाभार्थी:— 2 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि धारक किसान।

प्रक्रिया / दस्तावेज:— आवेदक के पास 2 हेक्टेयर तक जमीन होनी चाहिए। कृषि भूमि के कागजात, आधार कार्ड, पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, बैंक खाता पासबुक, मोबाइल नम्बर, पता प्रमाण पत्र, खेत की जानकारी (आकार एवं क्षेत्रफल के बारे में), पासपोर्ट आकार रंगीन फोटो।

सम्पर्क पता / अधिकारी:— कृषि समन्वयक, कृषि सलाहकार

प्रपत्र:

स्रोत:— सर्वप्रथम आवेदक को पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट [चउपेदणहवअण्पद](http://choupdenhvapad.com) को खोलना होगा। होमपेज मेनू पर थंतउमत बतदमत का ऑप्शन दिखाई देगा।

टिप्पणी:— आवेदन कॉमन सर्विस सेन्टर से ऑनलाइन कर सकते हैं।

1.4.2. योजना का नाम : प्रधानमंत्री किसान कर्ज माफी योजना 2023

विभाग:— विभाग, केन्द्र सरकार

विशेषताएँ:— मुख्य उद्देश्य देश के सभी किसानों का कर्ज माफ किया जायेगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के सभी किसानों को प्रोत्साहन देना एवं किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है।

योजना के लाभार्थी:— आवेदक को भारत का निवासी होना चाहिए। किसान आवेदक के पास 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए। यदि किसान ने किसी सहकारी, प्राइवेट या सरकारी बैंक से कर्ज लिया है तो किसान के पास इस बात का प्रमाण होना चाहिए की कितना कर्ज दिया जा चुका है और कितना कर्ज बाकी है। किसान के द्वारा लिया गया फसल ऋण लोन 1,00,000₹ से अधिक नहीं होना चाहिए। फसल प्रा.तिक आपदा में खराब हो गई हैं। सिर्फ उन्हें ही इस योजना के अंतर्गत ऋण माफी का लाभ दिया

जाएगा ।

प्रक्रिया / दस्तावेज:— आवेदन कर्ता का निवास प्रमाण पत्र आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पहचान पत्र, बैंक पासबुक की फोटो कॉपी, भूमि संबंधित दस्तावेज, पासपोर्ट साइज फोटो

सम्पर्क पता / अधिकारी:— समान्यवक, .षि सलाहकार

स्रोत:— ऑनलाइन एवं ऑफलाइन, <http://agricoop.nic.in/>

टिप्पणी: आवेदन कॉमन सर्विस सेन्टर से ऑनलाइन कर सकते हैं ।

1.4.3. प्रधानमंत्री श्रमयोगी मान धन योजना

विभाग:— श्रम कल्याण एवं रोजगार विभाग,, केन्द्र सरकार

विशेषताएँ:— यह एक स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन योजना है। इस योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के द्वारा लाभार्थी के बराबर का अंशदान देने का प्रावधान है, 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति ही योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 3000 मासिक पेंशन का प्रावधान है। 18 साल की उम्र में आवेदन करने वाले को हर महीने 55 रुपये जमा कराने होंगे और 60 की उम्र पूरी करने पर हर माह 3000 रुपये न्यूनतम पेंशन राशि के तौर पर दी जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के कामगारों को बुढ़ापे में सहारा देना है। ताकि असंगठित क्षेत्र के मजदूर वर्ग भी 60 साल की उम्र पार करने पर अपने जीवन यापन अच्छे से कर सके। वह अपने बुढ़ापे को स्वाभिमान के साथ जी सके, और किसी दूसरे पर निर्भर न रहना पड़े। पेंशन से प्राप्त राशि का प्रयोग वह अपने खाने, पीने, कपड़ों, दवाई इत्यादि की जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद पा सकता है।

योजना के लाभार्थी:— असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, रिक्शा चालक, स्ट्रीट वेंडर, घरेलू कामगार, भूमिहीन मजदूर, खेतिहर मजदूर, निर्माण मजदूर, छोटे दूकानदार, आयकर दाता नहीं हो, मासिक आय 15000 से कम हो मेपबध्मचवि में पहले से पंजीकृत नहीं हो, आवेदक भारत के नागरिक हो।

प्रक्रिया / दस्तावेज:— आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक बचत / जनधन खाता अकाउंट (IFSC) कोड के साथ।

सम्पर्क पता / अधिकारी:— कॉमन सर्विस सेंटर, भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय अथवा श्रम कल्याण एवं रोजगार विभाग में आवेदन कर सकते हैं व योजना संबंधी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। निकटतम जनसेवा केंद्र पर भी जा सकते हैं।

स्रोत:— <https://maandhan.in/shramyogi>, <https://maandhan.in/>
<https://labour.gov.in/pm-sym> टॉल फ्री 1800 267 6888

टिप्पणी:— यह योजना साल 2019 में शुरू की गई थी। लाभार्थी की मृत्यु होने पर 50: लाभार्थी के जीवन साथी को मिलेगा। 18–40 वर्ष के दौरान आवेदक की मृत्यु होने पर जीवनसाथी योजना को जारी रख सकता है।

1.4.4. योजना का नाम: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

विभाग:— कृषि विभाग, केन्द्र सरकार

विशेषताएँ:— हमारे देश के किसानों का सब कुछ उनकी खेती—बाड़ी ही है, जिसके भरोसे पर ही उनके सभी दैनिक जीवन के खर्च पूरे होते हैं। किसान अपनी जमा पूंजी लगाकर फसल उगाते हैं, जिससे फसल उत्पादन कर उसे बेचकर उनकी आमदनी हो सके, लेकिन कई बार तेज गर्मी, अधिक बारिश व अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण इनकी फसल खराब हो जाती है, जिससे किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। अतः इन सभी बिंदुओं/बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ;त्तंकींदउंदजतप थेंस ठपउं ल्वरंदंद्ध की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से किसान अपनी फसल के नुकसान की भरपाई कर पाएँगे, फसल बुआई के समय किसानों को कुछ राशि बीमा के तौर पर देनी होगी, इसका लाभ किसानों को यह होगा कि यदि फसल खराब होती है तो उन्हें बीमा क्लेम दिया जायेगा।

योजना के लाभार्थी:— (PMFBY Scheme) का लाभ प्राप्त उस किसान को ही मिलेगा जो जो कि भारत का मूल निवासी है। फसल बीमा योजना का लाभ केवल किसानों को ही मिल सकता है। जिन राज्यों में (Pradhanmantri Fasal Bima Yojana) लागू है सिर्फ वहीं के किसान ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

प्रक्रिया / दस्तावेज:— आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, किसान की फोटो, खेत का खसरा नंबर, पता प्रूफ, सरपंच या पटवारी से खेत में बुआई होने का एक प्रमाण पत्र, यदि किसान किसी दूसरे के खेत में बुआई होने का एक प्रमाण पत्र यदि किसान दूसरे के खेत में खेती करता है तो किसान और खेत के मालिक के बीच करार के प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी जिसमें खेत का खसरा नंबर साफ—साफ लिखा रहना चाहिए। बैंक खाता और एक कैंसल चेक।

सम्पर्क पता / अधिकारी:— डीएसी एवं परिवार कल्याण।

स्रोत:— <https://pmfby.gov.in> भारत सरकार ने हाल ही में बेहतर प्रशासन, समन्वय, जानकारी के समुचित प्रचार—प्रसार और पारदर्शिता के लिए एक बीमा पोर्टल शुरू किया है। एक एंड्रॉयड आधारित “फसल बीमा ऐप” भी शुरू किया गया है जो फसल बीमा, कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग (डीएसी एवं परिवार कल्याण) की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। ऐसे किसान भाई जिन्होंने बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड लिया है, तो उन्हें बैंक के माध्यम से फसल बीमा करवाने का विकल्प मिलता है। पहले किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए फसल बीमा अनिवार्य था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इसे वैकल्पिक कर दिया है, यानि बीमा करवाना या नहीं करवाना आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। इसके अलावा यदि नजदीकी किसी बैंक में

बचत खाता चल रहा है, तो भी आप बैंक के माध्यम से बीमा करवा सकते हैं।

टिप्पणी:— आवेदन कॉमन सर्विस सेन्टर से ऑनलाइन कर सकते हैं।

1.5. सामाजिक कल्याण हेतु

1.5.1. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता योजना

विभाग:— जिला समाज कल्याण विभाग, केन्द्र सरकार

विशेषताएँ:— इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता योजना फरवरी 2009 को हमारे देश में विकलांग लोगों का समर्थन करने के लिए केंद्र सरकार की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत शुरू की गई यह योजना विकलांग लोगों को उनके जीवन की समृद्धि के लिए मासिक पेंशन प्रदान करती है। कोई भी विकलांग व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, और गरीबी रेखा से संबंधित 40: विकलांगता के साथ इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है। रुपये की राशि। 300 रुपये 79 वर्ष की आयु तक के लोगों के लिए पेंशन के रूप में और रुपये की राशि का भुगतान किया जाता है। 500 79 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए लागू है।

योजना के लाभार्थी:— लोगों को केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक रूप से सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार द्वारा प्रदान की गई धनराशि से लोग अपनी विकलांगता के बावजूद अपने दम पर हो सकते हैं। रुपये की राशि 300 उन लोगों को प्रदान किया जाता है जिनकी आयु 18–79 वर्ष के बीच होती है, जबकि 500 रुपये की राशि उन लोगों के लिए प्रदान की जाती है जो 79 वर्ष से ऊपर हैं। लाभ प्राप्त करने के लिए विकलांग व्यक्ति के लिए पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं। आवेदक की आयु 18–79 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक भारत का निवासी होना चाहिए। आवेदक शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति होना चाहिए। आवेदक की विकलांगता 40: से अधिक होनी चाहिए। बौने भी इस योजना के लिए पात्र हैं। आवेदक गरीबी रेखा से नीचे का होना चाहिए।

प्रक्रिया / दस्तावेज:— आधार कार्ड, विकलांगता का प्रमाण पत्र, आवेदक का निवास प्रमाण, खाता विवरण, आयु प्रमाण, गरीबी रेखा से नीचे राशन कार्ड

सम्पर्क पता / अधिकारी:— इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आवेदक ग्राम पंचायत, नगर पालिकाओं और जिला समाज कल्याण कार्यालय में अधिकारियों से संपर्क कर सकता है।

टिप्पणी:— आवेदक को आवेदन पत्र लेने के लिए स्थानीय सरकारी निकायों जैसे ग्राम पंचायत, नगर पालिकाओं का दौरा करना होगा। फॉर्म को विधिवत भरकर उसी कार्यालय में जमा करना होगा। आवेदन पत्र निःशुल्क प्राप्त किया जाता है।

1.5.2. प्रधानमंत्री ग्रामिण आवास योजना

विभाग:— ग्रामीण विकास विभाग, केन्द्र सरकार

विशेषताएँ:— प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ःच्छ ळतंतउपद ू ल्वरंदंद्व योजना के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को खुद का पक्का मकान बनाने के लिए तथा पुराने घर की मरम्मत के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसके साथ ही उन्हें पक्का

शौचालय बनाने में भी मदद दी जाएगी।

आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामीणों की मदद करना। ग्रामीण लोगों की मदद कर उनको पक्के घर उपलब्ध कराना। 2022 तक 1 करोड़ पक्के घर देना। पक्के घर का सपना पूरा करना।

योजना के लाभार्थी:— आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, मुक्त बंधुआ मजदूर, रिटायर और कार्रवाई में शहीद हुए रक्षा कर्मियों, अर्धसैनिक बलों के सैनिकों की विधवाओं और आश्रित-परिजन, विकलांग व्यक्ति तथा अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, कम आय वाले लोग

प्रक्रिया / दस्तावेज:— आवेदक भारतीय निवासी होना चाहिए। छठ छतउपद लू ल्वरंद 2023 के तहत ऐसे परिवार जिनमें 16 से 59 वर्ष की आयु का कोई वयस्क सदस्य नहीं होना चाहिए।

ऐसे परिवार जिनमें मुखिया महिला सदस्य है। वो भी योजना का लाभ ले सकते हैं। ऐसे परिवार जिसमें 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई साक्षर वयस्क सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर परिवार का कोई सदस्य सरकारी विभाग में कार्यरत है। तो इस आवेदन नहीं कर सकते। भरे हुए छठ छत आवेदन फॉर्म आईडी प्रूफ (जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, आदि), जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण, एड्रेस प्रूफ, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, अगर आवेदक व्यवसाय में शामिल है तो व्यवसाय की जानकारी, निर्माण की योजना, निर्माण की लागत का क्लेम करने वाला प्रमाण पत्र, एक शपथ पत्र जिस में यह प्रमाणित किया जाए कि न तो आवेदक और न ही उसके परिवार के सदस्यों के पास पक्के मकान हैं, बिल्डर को किए गए किसी भी एडवांस भुगतान की रसीद

सम्पर्क पता / अधिकारी:

श्रोत: सबसे पहले आवेदक को विभाग द्वारा दी गई अधिकारिक वेबसाइट www.mha.gov.in पर जाना होगा। यहां चुने छठ छत ग्रामीणधनतंस ऑनलाइन आवेदन। यहां पर पंचायत से प्राप्त नेमतदंडम और चैवतक डाल कर लॉगिन करें। इसके बाद छठ छत ऑनलाइन आवेदन पत्र पर जाकर आवेदन करें। अंत में मांगे गए दस्तावेजों को जंजी करे, और अपना रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण करें। इस तरह आप प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में आवेदन फॉर्म भर कर आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

टिप्पणी: ऑफलाइन के लिए क्षेत्रीय पंचायत तथा जनसेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने ग्राम पंचायत या सरपंच से संपर्क करें।

1.5.3. प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास (शहरी)

विभाग:— नगरीय विकास एवं आवास विभाग, केन्द्र सरकार

विशेषताएँ:— प्रधान मंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र के लिए सभी (शहरी) मिशन के लिए आवास 2015–2022 के दौरान लागू किया जा रहा है। यह मिशन 2022 तक सभी पात्र परिवारों ६ लाभार्थियों को घर उपलब्ध कराने के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के माध्यम से केंद्रीय सहायता अनुपूरक एजेंसियां प्रदान करता है। सुनिश्चित करें कि झोपड़पट्टियों सहित सभी शहरी गरीबों की आवास आवश्यकता विभिन्न

कार्यक्रम वर्टिकल के माध्यम से मिलती है। मुख्य उद्देश्य 2022 तक सभी योग्य परिवारों ६ लाभार्थियों को घर उपलब्ध कराने के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसियों को केंद्रीय सहायता प्रदान करना है। पानी कनेक्शन, शौचालय और बिजली की सुविधाओं के साथ पक्का घर प्रदान करें सुनिश्चित करें कि शहरी इलाके मुक्त हैं और सभी नागरिकों के पास बुनियादी सेवाओं तक पहुंच है। राष्ट्रीय भवन संहिता (एनबीसी) और अन्य मानक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (बीआईएस) कोड के अनुरूप भूकंप, बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन इत्यादि के खिलाफ संरचनात्मक सुरक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन और निर्माण किए गए घर प्रदान करें।

योजना के लाभार्थी:— लाभार्थी परिवार के पास या तो अपने नाम पर या भारत के किसी भी भाग में अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम पक्का घर (हर मौसम के लिए उपयुक्त) नहीं होना चाहिए। लाभार्थी परिवार के पास पहले से ही भारत सरकार/राज्य सरकार से किसी भी हाउसिंग स्कीम के तहत केंद्रीय सहायता का लाभ नहीं होना चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), कम आय वाले समूह (एलआईजी) और मध्य आय समूह (एमआईजी)। यह मिशन 2022 तक सभी योग्य परिवारों / लाभार्थियों को घर उपलब्ध कराने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से केंद्रीय सहायता अनुपूरक एजेंसियां प्रदान करता है।

प्रक्रिया / दस्तावेज:— आवेदक भारत का नागरिक हो

सम्पर्क पता / अधिकारी:—

प्रपत्र:—

स्रोत:— <http://pmaymis.gov.in/> का संदर्भ लें

टिप्पणी: आवेदन कॉमन सर्विस सेन्टर से ऑनलाइन कर सकते हैं।

1.5.4. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

विभाग: वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारत सरकार

विशेषताएँ:— भारत सरकार के द्वारा 12/- वार्षिक प्रीमियम पर दुर्घटना बीमा का प्रावधान है। पूर्ण विकलांग में दोनों आँख, हाथ, पैर क्षतिग्रस्त होने पर 2 लाख तक आंशिक विकलांगता में एक आँख, एक पैर, एक हाथ के नुकसान पर 1 लाख रुपए की राशि बीमित व्यक्ति को देने का प्रावधान है। बीमित व्यक्ति के दुर्घटना में मृत्यु होने या पूर्ण रूप से विकलांगता होने पर नामिती को 2 लाख तथा आंशिक रूप से विकलांगता पर 1 लाख की राशि प्रदान की जाती है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को प्रतिवर्ष रु. 12 के प्रीमियम का भुगतान करना होगा। यदि बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में नॉमिनी को बीमे की रकम

प्रदान की जाती है। इसके अलावा स्थाई रूप से विकलांगता होने की स्थिति में भी बीमा राशि प्रदान की जाती है। 27.श्रंद.2023 खाताधारक के बैंक खाते से स्वतः आहरण सुविधा के जरिए एक किस्त में 20 रुपये की वार्षिक प्रीमियम की कटौती की जाती है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 8 मई 2015 को आरंभ किया गया था। इस योजना के माध्यम से दुर्घटना होने की स्थिति में बीमा कवर प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को प्रतिवर्ष रु. 12 के प्रीमियम का भुगतान करना होगा। यदि बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में नॉमिनी को बीमे की रकम प्रदान की जाती है। इसके अलावा स्थाई रूप से विकलांगता होने की स्थिति में बीमा राशि प्रदान की जाती है।

इस योजना के माध्यम से रु. 100000 से रु. 200000 की बीमा राशि दुर्घटना होने की स्थिति में प्रदान की जाती है। सुरक्षा बीमा योजना का लाभ 18 वर्ष की आयु से लेकर 70 वर्ष की आयु तक ही प्राप्त किया जा सकता है। प्रतिवर्ष प्रीमियम की राशि 1 जून से पहले बैंक खाते से कट जाती है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए बैंक खाते पर ऑटो डेबिट की सुविधा सक्रिय होना अनिवार्य है।

योजना के लाभार्थी:

- आवेदक भारतीय निवासी होना चाहिए।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत आवेदक की आयु 18 से 70 वर्ष ही होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए।
- उम्मीदवार के पास एक सक्रिय बचत बैंक खाता होना अनिवार्य है।
- आवेदक को पॉलिसी प्रीमियम के ऑटो डेबिट के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा।
- पूरे 12 प्रीमियम की रकम एक साथ ही हर साल 31 मई को कट जाएगी।
- बैंक अकाउंट बंद होने की स्थिति में पॉलिसी खत्म हो जाएगी।
- प्रीमियम जमा नहीं करने पर पॉलिसी को रिन्यू नहीं कराया जा सकता है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लाभ

- इस योजना का लाभ देश के सभी वर्ग के लोगों को प्रदान किये जायेंगे लेकिन खासतौर पर देश के पिछड़े और गरीब तबके के लोगों को लाभ प्रदान किया जायेगा।
- यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी सड़क दुर्घटना या अन्य किसी हादसे में हो जाती है तो उसके परिवार को 2 लाख रूपए तक का दुर्घटना बीमा सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

- स्थायी रूप से आंशिक अपंग होने पर 1 लाख का कवर मिलता है।
- यदि वह हादसे में अस्थायी तौर पर अपाहिज होता है तो उसे एक लाख रुपये तक का बीमा कवर दिया जाता है।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत पॉलिसीधारक को सालाना 12 रुपये के प्रीमियम का भुगतान करना होगा। उसके बाद ही वह सुरक्षा बीमा के हकदार होंगे।
- इसके अलावा से निजी या किसी सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के साथ उपलब्ध
- इसके अलावा वे निजी या किसी सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के साथ उपलब्ध किसी भी प्रकार की बीमा योजनाओं का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, तो इस योजना के लिए हकदार हैं।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को एक वर्ष के लिए कवर के साथ हर साल नवीनीकरण किया जाएगा।
- बैंक इस योजना की पेशकश करने के लिए अपनी पसंद के किसी भी बीमा कंपनी को संलग्न कर सकती है।
- खासकर देश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना उनको बीमा प्रदान करती है।

प्रक्रिया / दस्तावेज:

- आवेदक का आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- बैंक अकाउंट पासबुक
- आयु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो

सम्पर्क पता / अधिकारी: नजदीकी बैंक शाखा / ग्राहक सेवा केन्द्र से संपर्क किया जा सकता है।

प्रपत्र:

स्रोत: [https://financialservices.gov.in/insurance-divisions/Government-Sponsored-Socially-Oriented-Insurance-Schemes/Pradhan-Mantri-Suraksha-Bima-Yojana\(PMSBY\)](https://financialservices.gov.in/insurance-divisions/Government-Sponsored-Socially-Oriented-Insurance-Schemes/Pradhan-Mantri-Suraksha-Bima-Yojana(PMSBY))

8. टिप्पणी: बीमा की अवधि की गणना 1 जून से 31 मई तक की जाती है।

1.5.5. अम्बेदकर बाल्मीकि मलिन बस्ती आवास योजना

विभाग: कल्याण विभाग, केन्द्र सरकार

विशेषताएँ: बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना के तहत जिला द्वारा सत्यापित 30 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की आवासविहीन या एक कमरे तक के कच्चे मकान में रहने वाले विधवा मुखिया वाला परिवार, जिनका मासिक आय रु. 5000 ₹ से कम हो, वैसे परिवारों का नाम सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना 2011 में नहीं हो तो भी उन परिवारों को आवास उपलब्ध कराया जाए।

योजना के लाभार्थी: वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना का उद्देश्य नगरीय क्षेत्र में रहने वाले ऐसे गरीब व्यक्तियों को आवासों का निर्माण करना है, जिनके पास आवास नहीं हैं। नगरीय क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे तथा कम आय वर्ग के परिवार पात्र होंगे, जिनके पास आवास जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है या आवास की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। इसके अंतर्गत पहली प्राथमिकता गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को दी जाती है।

लाभार्थी का चयन जिला नगरीय विकास अभिकरण (नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर पंचायत) के सहयोग किया जाएगा। चयन में ऐसे परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसकी मुखिया महिला हो। साथ ही आवास की भूमि पति पत्नी दोनों के नाम से या पत्नी के नाम से होना चाहिए। यदि आवास निर्माण हेतु लाभार्थी के पास भूमि उपलब्ध नहीं है, तो नगरीय विकास अभिकरणों तथा अन्य माध्यमों से निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराई जाती है। वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को योजना में आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है वे निम्नलिखित हैं

- 1) अनुसूचित जाति जनजाति 50 प्रतिशत
- 2) पिछड़ा वर्ग— 30 प्रतिशत
- 3) अन्य कम आय (सामान्य सहित)— 15 प्रतिशत
- 4) विकलांग — 5 प्रतिशत

प्रक्रिया/दस्तावेज: आवेदक भारत का नागरिक हो

सम्पर्क पता/अधिकारी: प्रखंड विकास अधिकारी से संपर्क करें।

प्रपत्र:

श्रोत:

टिप्पणी: आवेदन कॉमन सर्विस सेन्टर से ऑनलाइन कर सकते हैं।

1.5.10. आपदा पीड़ित परिवारों / व्यक्तियों के लिए अनुदान

विभाग: राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार

विशेषताएँ: प्राकृतिक आपदा पीड़ितों की मदद के लिए दी जाने वाले सहायता राशि में बढ़ोतरी की गई है। प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की धनराशि का इस्तेमाल अब प्रमुखतया बाढ़, चक्रवात और भूकंप आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं में मारे गए लोगों के परिजनों तथा बड़ी दुर्घटनाओं एवं दंगों के पीड़ितों को तत्काल राहत पहुँचाने के लिए दिया जाता है।

केंद्र सरकार द्वारा 14 वें वित्त आयोग के अनुशंसा के आधार पर 2015 से 2020 तक के लिए आपदा पीड़ितों को निम्न रूपों में अनुदान दिया जाता है।

1. मृत्यु (परिजन को) – चार लाख रुपया।
2. 40: से 60: तक विकलांग – 59.100 हजार रुपया। 60: से अधिक विकलांग – 2 लाख रुपया।
3. एक सप्ताह तक अस्पताल में भर्ती रहने पर – 4.300 हजार रुपयां
4. एक सप्ताह से अधिक भर्ती रहने पर – 12.700 हजार रुपयां
5. कपड़ा क्षति होने पर – 1800 रुपया
6. बर्तन आदि की क्षति होने पर – 2.00 हजार रुपयां
7. जीविका के साधन क्षति पर – 60 / – रु. बच्चे को 45 / – रु. रुपया।
8. जमीन पर तीन ईंच बालू की परत हटाने पर – 12.200 / – रुपया प्रति हेक्टेयर
9. जमीन के कटाव या बह जाने पर – 37.500 हजार रुपया।
10. बागवानी की क्षति होने पर – 6.800 हजार प्रति हेक्टेयर।
11. दो फसली खेती की क्षति होने पर – 18000 / – हजार रु. प्रति हेक्टेयर
12. रेशम की फसल की क्षति होने पर – 4,800 हजार (इरी मलबेरी और तसर) 6.00 हजार रु. के लिए (मूगा) के लिए।
13. दो एकड़ वाले किसानों को सबसिडी—8.00 प्रति हेक्टेयर, 1800 / – हजार रुपया प्रति हेक्टेयर (अलग—अलग खेती का प्रकार)।
14. दुधारू पशु – 30,000 / – हजार रुपया
15. घोड़ा, बैल के लिए – 25000 / – हजार रुपया।
16. नाव, जाल के क्षति पर – 4.100 हजार रुपया, 2.100 हजार रुपया।
17. नाव के लिए – 9.600 हजार रुपया।

18. मत्स्य की क्षति के लिए – 8.200 प्रति हे.।
19. हैंडलूम उपकरण की क्षति होने पर – 4.100 हजार रुपया।
20. पशुओं के लिए चारा (15 से 90 दिनों तक)
21. छोटा पशुओं के लिए चारा (15 से 90 दिनों तक)।
22. मछुआरों को नुकसान होने पर अलग दर निर्धारित है।
23. मछुआरों/हस्तकरघा के शिल्पियों उपकरणों, कच्चा माल आदि के लिए अलग-अलग दर निर्धारित है। पशु घर के लिए 2100 / –
24. पक्का मकान पूर्णतया क्षति होने पर 95100 / –
25. कच्चा मकान पूर्णतया क्षति होने पर 32.00 / –
26. झोपड़ी क्षतिग्रस्त होने पर 4100 / –
27. पूर्णतया झोपड़ी बर्बाद होने पर 4100 / –
28. बाढ़ से प्रभावित परिवार को बाढ़ मुत खाद्यान्न 50 किलोग्राम गेहूँ और 50 किलोग्राम चावल दिया जाता है।
29. औद्योगिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठान में अग्निकांड की घटना को बीमा योजना के तहत लाभ दिया जाता है।
30. साँप के डसने से मौत होने पर चार लाख रु० अनुदान देय है।

नोट: आपदा से पीड़ित क्षेत्रों में 24 घंटा के अन्दर सभी तरह के राहत सामग्री अंचलाधिकार को दायित्व सौंपा गया है। और 24 घंटा के अन्दर जिलाधिकारी को वस्तुस्थिति से अवगत कराये।

इसके अलावा फसल क्षति का नुकसान होने पर सरकार अनुदान किसानों को देती है।

योजना के लाभार्थी: आपदा से पीड़ित लोग

प्रक्रिया/दस्तावेज: आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, आपदा का प्रमाण, फोटो

सम्पर्क पता/अधिकारी: आपदा अधिकारी, भारत सरकार, बिहार सरकार

प्रपत्र:

श्रोत:

टिप्पणी: प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष का संचालन अवैतनिक आधार पर होता है। प्रधानमंत्री के एक संयुक्त सचिव इस कोष के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

1.5.12. आयुष्मान भारत योजना

विभाग: स्वास्थ्य विभाग, केन्द्र सरकार

विशेषताएँ: गरीबों को 5 लाख तक का मुत इलाज। केन्द्र सरकार के द्वारा 10 करोड़ लोगों को इस योजना से सुविधा पहुँचाने का लक्ष्य है। चयनित लाभार्थी को गंभीर बीमारी के उपचार हेतु भारत के सूचिबद्ध अस्पताल में 5 लाख तक फ्री कैशलेस इलाज का प्रावधान है।

योजना के लाभार्थी: जिनका राशन कार्ड बना हो, आवेदक भारत का नागरिक हो, SEC- 2011 की सूची में नाम दर्ज होना चाहिए।

प्रक्रिया / दस्तावेज: आधार कार्ड, मोबाईल नम्बर, राशन कार्ड एवं प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी किया गया पत्र।

सम्पर्क पता / अधिकारी: नजदीकी चिन्हित सरकारी / प्राइवेट अस्पताल,

प्रपत्र:

स्रोत: <https://pmjay.gov.in/>

टिप्पणी: आवेदन कॉमन सर्विस सेन्टर से ऑनलाइन कर सकते हैं।

1.5.13. ई-श्रम कार्ड योजना

विभाग: श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, केन्द्र सरकार

विशेषताएँ: ई श्रम कार्ड पारंपरिक कागज आधारित श्रम कार्ड का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण है। यह भारत में श्रमिकों के लिए एक पहचान पत्र है जो उनके रोजगार के प्रमाण के रूप में कार्य करता है और उन्हें सरकार द्वारा प्रदान किए गए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा लाभों और योजनाओं तक पहुंचने में मदद करता है।

भारत में, श्रम विभाग अर्थव्यवस्था के औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों में कार्यरत सभी श्रमिकों को कार्ड जारी करता है। कार्ड सभी पात्र श्रमिकों को निरु शुल्क जारी किया जाता है और उनके रोजगार की अवधि के लिए मान्य है।

ई-श्रम कार्ड श्रमिकों की सभी श्रम-संबंधी जरूरतों के लिए वन-स्टॉप समाधान के रूप में कार्य करता है। इसमें श्रमिक के बारे में सभी प्रासंगिक जानकारी होती है, जिसमें उनका नाम, जन्म तिथि, पता, रोजगार की स्थिति और नौकरी का विवरण शामिल है। कार्ड एक विशिष्ट पहचान संख्या से लैस है, जो श्रमिकों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और सरकार द्वारा प्रदान किए गए लाभों तक पहुंचने की अनुमति देता है।

योजना के लाभार्थी: निर्माण कामगार, प्रवासी कामगार, गिग एवं प्लेटफार्म कामगार, स्ट्रीट वेंडर, कुली एवं

रिक्शा चालक, घरेलु कामगार, खेतिहर मजदूर, सफाई कर्मचारी, नाई, मोची, दर्जी तथा बढ़ई, रेड़ीवाले, कुक, प्लम्बर, बिजली मिस्त्री, पेंटर एवं अन्य 156 श्रेणी के असंगठित कामगार ।

प्रक्रिया / दस्तावेज: श्रम कार्ड बनवाने हेतु आवश्यक दस्तावेज, 1. आधार कार्ड 2. बैंक बचत खाता 3. आई. एफ.एस कोड 5. मोबाईल नंबर 6. आवेदन का होना अनिवार्य 7. म्च्छम्ब का सदस्य नहीं होना चाहिए 8. आवेदक जिसकी उम्र 16 से 59 साल के बीच हो ।

सम्पर्क पता / अधिकारी: ई-श्रम कार्ड के लिए आवेदन सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) या ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है । पात्र व्यक्ति निकटतम सीएससी केंद्र पर जा सकते हैं और ई-श्रम कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं । वे ई-श्रम कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए राज्य और जिले में प्रवेश करके ई-श्रम पोर्टल पर निकटतम सीएससी केंद्र का पता लगा सकते हैं । इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आवेदक ग्राम पंचायत, नगर पालिकाओं और जिला समाज कल्याण कार्यालय में अधिकारियों से संपर्क कर सकता है ।

प्रपत्र: <https://register.eshram.gov.in/#/user/self>

स्रोत: <https://eshram.gov.in>

टिप्पणी: आवेदक को आवेदन पत्र लेने के लिए स्थानीय सरकारी निकायों जैसे ग्राम पंचायत, नगर पालिकाओं का दौरा करना होगा । फॉर्म को विधिवत भरकर उसी कार्यालय में जमा करना होगा । आवेदन पत्र निःशुल्क प्राप्त किया जाता है ।

1.5.19. आभा स्वास्थ्य कार्ड (आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट) ABHA

विभाग: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, केंद्र सरकार

विशेषताएँ: आभा आईडी कार्ड आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत लांच किया गया है। 14 अंक वाले आभा आईडी कार्ड को आप हेल्थ कार्ड कह सकते हैं। जो आपके हेल्थ का पूरा जानकारी रखता है। आभा हेल्थ कार्ड धारकों को अनुमति देता है कि वे अपने हेल्थ से जुड़ी जानकारी डिजिटली हॉस्पिटल, क्लिनिक एवं बीमा कंपनी के साथ साझा कर सकता है।

आभा कार्ड बनने से अब नागरिकों की सभी मेडिकल इतिहास डिजिटल माध्यम से सेव रहेगी। इस जानकारी को व्यक्ति जब चाहे तब एक्सेस कर सकता है। डॉक्टर्स और हेल्थ प्रोफेशनलल्स इस जानकारी को संबंधित मरीज या व्यक्ति की सहमति से देख सकता है।

आयुष्मान कार्ड और आभा कार्ड में विभेद:—

आयुष्मान कार्ड भारत के गरीब परिवारों की मदद करने पर केंद्रित है, ताकि उन्हें उपचार मिल सके। डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड या आभा ;।ठभ।द्ध कार्ड हर भारतीय के लिए उपलब्ध है, जो चिकित्सीय यात्रा को डिजिटल और आसान बनाने पर केंद्रित है।

आप अपनी मर्जी से भाग ले सकते हैं और स्वेच्छा से अपना आभा नंबर बना / चुन सकते हैं। इसके अलावा, किसी भी समय, आप अपने आभा नंबर को स्थायी रूप से हटाने या अस्थायी रूप से निष्क्रिय करने के लिए भी अनुरोध कर सकते हैं।

योजना के लाभार्थी: सभी भारतीय नागरिक

प्रक्रिया / दस्तावेज:

- क) सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
- ख) दूसरा, ड्रॉप —डाउन मेन्यू (आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता) से डिजिटल हेल्थ कार्ड या आभा एकाउंट बनाएं (सिलेक्ट करें)
- ग) डिजिटल हेल्थ कार्ड के लिए रजिस्टर करने के लिए आधार कार्ड या ड्राइविंग लाईसेंस पर क्लिक करें
- घ) अपना आधार नंबर भरें—जिस नंबर से आधार लिंक रहेगा उस नंबर पर ओ,टी,पी आएगा, उसे भरें।

सम्पर्क पता / अधिकारी:— आनलाईन

प्रपत्र:— आनलाईन

श्रोत:— ABHA number (ndhm.gov.in)

1.5.20. जन वितरण प्रणाली

विभाग: खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार

विशेषताएँ: राष्ट्रीय कार्ड प्रबंधन प्रणाली को जन वितरण प्रणाली कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सभी पात्र लाभार्थियों को सबसिडी पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना एवं सरकारी योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए एक विशेष पहचान पत्र (राशन कार्ड के रूप में) उपलब्ध कराना है।

योजना के लाभार्थी:

- ☆ **APL Ration Card Bihar :-** इसका पूरा नाम **Above Povererty Line** है जो गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले परिवारों को दिया जाता है। इस तरह के राशन कार्ड का रंग केसरिया रंग का होता है।
- ☆ **BPL Ration Card Bihar:-** इसका पूरा नाम **Below Poverty Line** है जो गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर करने वाले परिवारों को जारी किया जाता है और इस प्रकार के राशन कार्ड का रंग गुलाबी या फिर लाल रंग का होता है।
- ☆ **ARC Ration Card :-** इसका पूरा नाम **Antyodaya Ration Card** है जो आर्थिक रूप से कमजोर बहुत पिछड़े वर्ग को दिया जाता है और इस प्रकार के राशन कार्ड का रंग पीले रंग का होता है।

प्रक्रिया / दस्तावेज:

- राज्य का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड में महिला प्रधानता होती है, अतः महिला मुखिया का नाम
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- परिवार के सभी सदस्य का विवरण
- परिवार के सभी सदस्यों का एक फोटो (सभी का एक साथ फोटो होना चाहिए)
- मोबाइल नंबर
- बैंक अकाउंट पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति

सम्पर्क पता / अधिकारी: ब्लॉक आरटीपीएस काउंटर के माध्यम से:—बिहार में राशन कार्ड के लिए आवेदन आप अपने ब्लॉक में जाकर आरटीपीएस काउंटर के माध्यम से ऑफलाइन फॉर्म जमा करके भी कर सकते हैं।

छमू ऑनलाइन के माध्यम से:— बिहार सरकार द्वारा नया पोर्टल जारी किया गया है जिसके माध्यम से अब आप ऑनलाइन घर बैठे ही मचके इपींत तंजपवद बंत्क |चचसल कर सकते हैं।

श्रोत: <http://epds.bihar.gov.in/>

<http://epds.bihar.gov.in/DistrictWiseRationCardDetailsBH.aspx>

टिप्पणी: बिहार के लोगों **One Nation One Ration Card Scheme** के अंतर्गत इसके लाभार्थी पात्र अपना राशन गाँव के किसी भी डीलर से ले सकते हैं और अगर वह दूसरे राज्य में जाते हैं तो वहाँ अपना सब्सिडी का राशन स्टेट माइग्रेशन की प्रक्रिया को अपनाकर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं ।

2. बिहार सरकार की योजनाएं

2.1. बच्चों एवं युवाओं के लिए

2.1.1. मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना

इस योजना का प्रारंभ अप्रैल 2018 से किया गया है इस योजना के तहत बेटी क पैदा होने से उसके स्नातक पढ़ने के क्रम में सरकार की ओर से कुल 54,100 रुपया की आर्थिक सहायता दी जाती है। आर्थिक सहायता राशि निम्न प्रकार दी जाती है।

विभाग: शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक कल्याण विभाग

विशेषताएँ:

- दुष्कर्म पीड़ित और अप्राकृतिक यौनाचार की शिकार पीड़ित को न्यूनतम 4 लाख और अधिकतम 7 लाख रुपये।
- एसिड अटैक पीड़ित जिसका चेहरा बिगड़ गया है को न्यूनतम 7 लाख और अधिकतम 8 लाख रुपया।
- नोट— इस योजना में यौन उत्पीड़न के शिकार बालकों को भी दुष्कर्म पीड़िताओं की तरह मुआवजा मिलेगा।

योजना के लाभार्थी:

बच्ची के जन्म पर माता-पिता को	—	रु. 2000 /—
बच्ची के एक वर्ष होने पर	—	रु. 1000 /—
बच्ची के सम्पूर्ण टीकाकरण पर	—	रु. 2000 /—
12वीं कक्षा पास पर (अविवाहित)	—	रु. 10000 /—
स्नातक करने पर एक मुश्त	—	रु. 25000 /—
सातवीं से लेकर बारहवीं तक	—	रु. 300 /—

कक्षाओं में पढ़ाई करने वाली छात्राओं को प्रतिवर्ष सैनिटरी नैपकीन के लिए नालसा मुआवजा योजना— नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी (नालसा) की यौन उत्पीड़न और एसिड हमले की शिकार महिलाओं के लिए बनाई गई पीड़ित मुआवजा योजना को बाल यौन निरोधक कानून विनोदक कारू (पॉक्सो) के तहत निम्न प्रकार के मुआवजा दिये जाते हैं

सामूहिक दुष्कर्म पीड़ित को न्यूनतम 5 लाख और अधिकतम 10 लाख रुपये।

प्रक्रिया/दस्तावेज:

- बच्ची पैदा होने पर अभिभावक जरूरी फार्म भरकर एएनएम के पास जमा कर सकते हैं।

- शहरी इलाको को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर फार्म जमा करना है ।

सम्पर्क पता / अधिकारी

श्रोत: <http://serviceonline.gov.in>

2.1.2. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना

इस योजना के अंतर्गत जो बीपीएल परिवार की लड़कियां होंगी उनके विवाह के समय ये अनुदान राशि दी जाएगी। जिससे की विवाह के समय ये राशि परिवार की आर्थिक सहायता में काम आ सके। लेकिन योजना के अनुसार परिवार को ये राशि तभी दी जाएगी जिसमें लड़की की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक हो और लड़के के उम्र 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं की जल्दी शादी पर रोक लगाना, बाल विवाह को रोकना, लड़कियों की शिक्षा पर जोर देना है। जिससे की बिहार राज्य भी अन्य राज्यों की भांति आगं विकास की तरफ बढ़े। योजना का लाभ लेने के लिए आपको आवेदन करना होगा। आप हम आज अपने आर्टिकल के माध्यम से आपको मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से जुड़ी सारी जानकारी देने जा रहे हैं।

विभाग: समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार

विशेषताएँ: बिहार कन्या विवाह योजना से मिलने वाले लाभ

यहाँ हम आपको मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के विशेष लाभों के बारे में जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। यदि आप भी इस योजना से मिलने वाले लाभों के बारे में जानने के इच्छुक हैं तो नीचे दिए गए पॉइंट्स पढ़िए

- बिहार कन्या विवाह योजना के अंतर्गत बालिका के विवाह के समय 5 हजार की राशि दी जाएगी।
- सरकारी योजना का लाभ केवल बिहार के नागरिकों को दिया जायेगा।
- बीपीएल परिवार से संबंधित बालिकाओं के लिए बिहार कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 5 हजार रूपए तक की राशि को चेक या डिमांड ड्राट के तहत लाभार्थी कन्या तक पहुंचाई जाएगी।
- योजना का लाभ लेने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- बिहार कन्या विवाह योजना के अंतर्गत बाल विवाह जैसे अपराधों को रोकने में सहायक होगा।
- लड़कियों की शिक्षा पर अधिक जोर दिया जायेगा।
- दहेज देने की प्रथाओं पर रोक लगाना।

उद्देश्य: जैसे की आप सब जानते हैं कि बिहार राज्य शिक्षा व अन्य क्षेत्र से काफी पिछड़ा हुआ है जिसके कारण यहां लोग ना तो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं ना ही उन्हें शिक्षा के प्रति कोई जागरूक किया जाता है जिस कारण लोगों के सोचने की क्षमता अभी बहुत कम है लोग अपने ही पुराने ख्यालात के होते हैं। यहां लड़की की शिक्षा को अधिक महत्व ना देकर उनकी कम उम्र में शादी करा दी जाती है जिससे की बालिकाओं की शिक्षा पूरी नहीं हो पाती थी और कम उम्र में शादी कराना कानूनी अपराध होता है जिसके लिए संविधान द्वारा बनाये गए नियम के अनुसार परिवार को इसके लिए जुर्माना या सजा देने का प्रावधान रखा गया है।

ऐसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने योजना का शुभारम्भ किया है। ताकि बालिकाएं अपनी पढ़ाई

पूरी कर सके और साथ ही सही उम्र में विवाह करने पर सरकार शादी के समय पर आर्थिक सहायता दी जाएगी जिससे की लोगो में अधिक जागरूकता आएगी। ताकि बिहार राज्य की साक्षरता दर में वृद्धि हो सके। इस योजना के शुरू होने से राज्य सरकार ने दहेज जैसी प्रथा पर रोक लगाने की कोशिश की है जिससे की लोगों की मानसिकता में बदलाव लाने का पूर्ण रूप से प्रयास किया गया है।

योजना के लाभार्थी: आर्थिक रूप से पिछड़े बर्ग व बीपीएल परिवार की बालिकाएं

पात्रता: आवेदकों को कन्या विवाह योजना 2023 का आवेदन करने के लिए निर्धारित पात्रता को पूरा करना होगा। जो आवेदक निर्धारित पात्रता को पूरा करेंगे केवल वहीं लोग योजना का लाभ उठा सकते हैं।

- योजना में आवेदन करने के लिए बालिका की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
- लाभार्थी परिवार बिहार के मूल निवसी होनी चाहिए।
- परिवार बीपीएल कार्ड धारक होना चाहिए।
- परिवार की सालाना आय 60 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- लड़की का विवाह जिस लड़के से होगी उसकी भी आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

प्रक्रिया / दस्तावेज: मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए दस्तावेज

वे उम्मीदवार जो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का ऑनलाईन आवेदन फॉर्म भरना चाहते हैं उनके पास ये सभी दस्तावेज होने अनिवार्य है। इन दस्तावेजों के आधार पर ही आप योजना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। ये दस्तावेज निम्न प्रकार हैं—

1) आधार कार्ड, 2) मूल निवास प्रमाण पत्र, 3) जाति प्रमाण पत्र, 4) बीपीएल राशन कार्ड, 5) लड़की की जन्मतिथि, 6) आय प्रमाण पत्र, 7) बैंक खाता नंबर, 8) मोबाइल नंबर, 9) पासपोर्ट साइज फोटो, 10) लड़के और लड़की का जन्म प्रमाण पत्र या आयु प्रमाण पत्र, 11) दहेज न देने का स्वप्रमाणित घोषण पत्र

बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?

जो इच्छुक उम्मीदवार बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं वे नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ हमने आपको आवेदन करने की प्रक्रिया कुछ आसान से स्टेप्स के माध्यम से बतायी है।

- सबसे पहले उम्मीदवार अपने ग्राम पंचायत या ब्लॉक में जाएँ। (आप चाहे तो आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर योजना का आवेदन फॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हैं) वहाँ यं फॉर्म उपलब्ध रहते हैं
- आपको आवेदन पत्र में दर्ज सारी जानकारी भरनी होगी। यदि आपको फॉर्म में कोई चीज समझ नहीं आती है तो इससे संबंधित कर्मचारियों से भी इसके बारे में पूछ सकते हैं।
- उसके बाद आप आवेदन फॉर्म में दिए हुए सभी दस्तावेजों को संलग्न कर दें।

- और आपने जहां से ये फॉर्म लिया था वही इस फॉर्म को जमा भी कर दे।
- कर्मचारियों के द्वारा ये फॉर्म आगे विभाग में दिया जायेगा।
- विभाग में अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों की जाँच की जाएगी जाँच के बाद सत्यावन के बाद ही योजना का लाभ मिलेगा।
- इसके लिए आपके सरपंच के माध्यम से आप तक योजना की राशि पहुंचा दी जाएगी या फिर बालिका के अकाउंट में डिमांड ड्राट के माध्यम से ये राशि भेज दी जाएगी।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए ऑनलाईन अप्लाई कैसे करें?

- जो इच्छुक उम्मीदवार योजना के लिए ऑनलाईन अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें हम यहां पर आवेदन करने के कुछ स्टेप्स बता रहे हैं। आप दिए हुए स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से आवेदन कर सकते हैं। ये स्टेप्स निम्न प्रकार हैं—
- सबसे पहले उम्मीदवार लोक सेवा का अधिकार की ऑफिसियल वेबसाइट serviceonline.bihar.gov.in पर जाएँ।
- उसके बाद आपकी स्क्रीन पर वेबसाइट का होम पेज खूल जायेगा।
- यहाँ आपको नागरिक अनुभाग में जाकर खुद का पुजीकरण के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- उसके बाद आपको रजिस्टर करने के लिए एक फॉर्म मिलेगा आपको फॉर्म में अपना नाम, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड दर्ज करके सेलेक्ट कर ले और उसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें।
- आपकी स्क्रीन पर लॉगिन का पेज खूल जायेगा। इसमें अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा और उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा आपको ओटीपी दर्ज करना होगा और बटन पर क्लिक कर दें।
- इसके बाद आप वापस होम पेज पर आ जायेंगे। आपको होम पेज में आर,टी,पी,एस, सेवाएँ के सेक्शन में जाना होगा और समाज कल्याण विभाग की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की सेवाएं पर क्लिक करें। जैसा कि नीचे दिए चित्र में दिखाया गया है।
- आपकी स्क्रीन पर बहुत सी योजनाओं के विकल्प आएंगे आपको मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए आवेदन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर आवेदन करने के लिए फॉर्म आ जायेगा। आपको आवेदन फॉर्म में पूरी गयी सारी जानकारी दर्ज करनी होगी और इसके साथ ही सभी दस्तावेज अपलोड कर दें। आवेदन फॉर्म का प्रारूप आप नीचे दिए गए चित्र में देख सकते हैं।
- फॉर्म पूरे तरीके से भरने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें।
- इस प्रकार आपका मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का ऑनलाईन आवेदन पूरा हो जायेगा।

2.1.3. ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान आर-सीटी

विशेषताएँ: लाभ का अंश— 1) व्यक्तियों की अभिरुची, योग्यता तथा स्थानीय मांग के अनुरूप स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण और मार्गदर्शन दिया जाता है।

2) प्रशिक्षण के बाद उम्मीदवारों को संस्थान के द्वारा बैंको के माध्यम से उद्यमिता विस्तार हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

3) प्रमुख ट्रेड निम्नप्रकार है।

बेसिक कम्प्यूटर, प्रशिक्षण, टैली, डी.टी.पी. मोटर बाईडिंग, मोटर साईकिल रिपेयरिंग, ड्रेस डिजाइनिंग, घरेलू बिजली उपकरण मरम्मती, कृत्रिम आभूषण, डेयरी, मधुमक्खी पालन, मुर्गीपालन, बकरी पालन, वर्मी कम्पोस्ट, जुट उत्पादन, मशरूम खेती, मोमबत्ती कृत्रिम आभूषण, अगरबत्ती, साबुन, ब्यूटिशियन, मल्टी फोन सर्विस प्लेक्स बोर्ड, लेमिनेशन इत्यादि।

योजना के लाभार्थी: लाभार्थी – ग्रामीण क्षेत्रों के 18 से 45 वर्ष के व्यक्ति

प्रक्रिया / दस्तावेज: प्रक्रिया: बिहार राज्य के प्रत्येक जिला में ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है जो निम्न प्रकार है टॉल फ्री नंबर 1800 120 8001 ग्रामीण विकास विभाग, बिहार

सम्पर्क पता / अधिकारी: जिला स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्रों का सम्पर्क सुत्र निम्न प्रकार हैं

क्र.सं	जिला	फोन नं.	क्र.सं	जिला	फोन नं.
1	पटना	9431462085	2	वैशाली	8252136579
3	मुजफ्फरपुर	9431239639	4	मधुबनी	9931059942
5	दरभंगा	9430558896	6	समस्तीपुर	9472547404
7	सिवान	9572547404	8	गोपालगंज	9471211854
9	छपरा	9708941426	10	बेगुसराय	9801611200
11	खगड़िया	9939834230	12	षिवहर	9409990998
13	प. चम्पारण	9939962316	14	पू. चम्पारण	9431884394
15	जहानाबाद	7442027895	16	नालंदा	9771463072
17	सुपौल	9430136585	18	सहरसा	9431102037
19	पूर्णिया	9431097853	20	कटिहार	9771547600
21	किशनगंज	9931322993	22	अररिया	9931493465
23	मधेपुरा	9939437347	24	गया	9955994012
25	नवादा	9771433073	26	अरवल	9955994009
27	शेखपूरा	8051148003	28	रोहतास	9430476868
29	कैमुर	9308623733	30	बाँका	7739836898
31	भागलपुर	9430427523	32	मुंगेर	9431887179
33	लखीसराय	9771463074	34	जमुई	9431047202
35	औरंगाबाद	9955994010	36	भोजपुर	9771468105
37	सीतामढ़ी	9939292585	38	बक्सर	9771420576

2.1.4. मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना

इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री कन्या योजना के तहत की गई है। इसका पूरा नाम मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना रखा गया है। इस योजना की शुरुआत राज्य के सभी बालिकाओं के लिए किया गया है। इसके तहत राज्य भर के सभी बालिकाओं को हर महीने बिहार सरकार के द्वारा रू. 300.00 राशि का भुगतान किया जाएगा।

बिहार मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना क्या है?

इस योजना के तहत राजभर के सभी लड़कियों को राज्य सरकार द्वारा उनके खाते में हर महीने कुछ राशि का भुगतान किया जाएगा जिससे कि वे सैनेटरी पैड (नैपकिन) खरीद सकें। बिहार सरकार द्वारा ऐसी स्थिति में कपड़े का इस्तमाल रोकने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई।

विभाग: मंत्रालय का नाम: महिला व बाल मंत्रालय, भारत सरकार

योजना का नाम: मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना, बिहार

विशेषताएँ:

लाभ व विशेषताएँ

विशेषताओं की जानकारी इस प्रकार है

- किशोरियों को आत्म विकास एवं सशक्त बनाने में सहयोग करना
- पोषण एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना
- स्वास्थ्य, स्वच्छता, और पोषण शिक्षा के द्वारा उन्हें जागरूक बनाना
- विद्यालय से बाहर के किशोरियों को औपचारिक शिक्षा तंत्र में पुनः वापस अथवा वैकल्पिक शिक्षा/कौशल विकसित करना
- इनकी गृह आधारित कौशल और जीवन कौशल का विकास करना
- उपलब्ध लोक सेवाओं जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ग्रामीण अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, डाकघर, बैंक, पुलिस स्टेशन आदि से संबंधित जानकारी/मार्गदर्शन देना
- पोषण मद अंतर्गत 11-14 वर्ष की स्कूल नहीं जाने वाली किशोरी बालिकाओं को टी.एच.आर. के रूप में चावल, अण्डा, एवं सोयाबड़ी उपलब्ध कराया जाता है। इस हेतु 9.50 रू. प्रति दिन प्रति लाभार्थी की दर से 600 कैलोरी एवं 18-20 ग्राम प्रोटीन युक्त पोषक सामग्री माह में 25 दिनों के लिए दी जाती है,
- आयरन फोलिक एसिड सम्पूर्ण, स्वास्थ्य जाँच, और रेफरल सेवाएँ, स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा, विद्यालय से बाहर की किशोरियों को औपचारिक शिक्षा तंत्र में पुनः वापस लाना या वैकल्पिक शिक्षा/कौशल विकसित करते हुए मुख्य धारा में लाना, जीवन कौशल शिक्षा, गृह प्रबंधन, लोक सेवाओं को प्राप्त करने

का परामर्श / मार्गदर्शन आदि।

- उपरोक्त सभी लाभ आपको इस योजना के तहत प्रदान किये जाते हैं ताकि आपको सतत व सर्वांगिन विकास हो सके।

योजना के लाभार्थी:

- कक्षा 7वीं से लेकर 12वीं में पढ़ाई कर रही छात्रा को इस योजना का लाभ मिलेगा।
- पहले इस योजना का लाभ लेने के लिए छात्राओं की 75 प्रतिशत उपस्थित अनिवार्य होती थी जिसे अब समाप्त कर दिया गया है जिसकी वजह से साल 2021–2022 में अधिक से अधिक छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा।
- बिहार सरकार द्वारा सामाजिक मुहिम के तहत मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना के तहत जिले की 1 लाख 11 हजार 82 छात्राओं को 300 रूपयों की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।
- DEO द्वारा इस योजना के सफल संचालन के लिए मध्य, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में किशोरी मंच के गठन हेतु आधिकारिक आदेश जारी कर दिये गये हैं,

प्रक्रिया / दस्तावेज: ऑनलाईन आवेदन नीचे दिए गए वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं।

<https://state.bihar.gov.in/main/CitizenHome.html>

सम्पर्क पता / अधिकारी:

प्रपत्र:

श्रोत: <http://www.icdsbih.gov.in/Sabla.aspx>

2.1.8. मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना

केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए जाते हैं एवं इसके लिए विभिन्न प्रकार के योजनाएं भी चलाई जाती हैं, ताकि छात्र-छात्राएं शिक्षा के लिए प्रेरित हों। इसी दिशा में कदम उठाते हुए बिहार राज्य सरकार द्वारा दसवीं की परीक्षा में प्रथम स्थान पर पितेज कपअपेपवदद्ध से उत्तीर्ण हुए बालक एवं बालिकाओं को प्रोत्साहन राशि देने हेतु मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना को शुरू किया गया है।

यदि आप बिहार राज्य के विद्यालयों में पढ़ने वाले एक दसवीं कक्षा के विद्यार्थी हैं और आपने दसवीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी नीचे दिया गया है बिहार मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना क्या है, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, इसके लाभ, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज आदि के बारे में पूरी जानकारी दिया गया है।

मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन राशि 2023

बिहार सरकार ने छात्रों को 10वीं की परीक्षा में प्रथम स्थान लाने पर प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत बिहार सरकार द्वारा राज्य के दसवीं कक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को प्रथम स्थान पर पितेज कपअपेपवदद्ध लाने पर ₹. 10000.00 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, एवं दूसरा स्थान पर मबवदक कपअपेपवदद्ध प्राप्त करने पर ₹. 8000.00 की धनराशि आर्थिक मदद के रूप में प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

विभाग: ई-कल्याण विभाग, बिहार

विशेषताएँ:

लाभार्थी : राज्य के 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण बालक/बालिका

उद्देश्य : 10वीं कक्षा के छात्रों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करना

प्रोत्साहित राशि : प्रथम स्थान लाने पर 10 हजार रुपये और दूसरा स्थान लाने पर 8 हजार रुपये

मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य:

- बिहार सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के छात्राओं को शिक्षा के लिए प्रेरित करना है। इस योजना के माध्यम से वह दसवीं कक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए अधिक प्रयास करेंगे। इस योजना के तहत छात्र एवं छात्राओं को पहला स्थान लाने पर ₹. 10000.00 की राशि एवं दूसरा स्थान लाने पर ₹. 8000.00 की धनराशि सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ सभी वर्ग के विद्यार्थियों को प्राप्त होगा।
- राज्य में कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई में काफी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण वह आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। इसलिए बिहार सरकार द्वारा यह कदम उठाया गया है ताकि गरीब परिवारों के मेधावी छात्रों को अपनी आगे की शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहन राशि प्राप्त हो सके।

योजना के लाभार्थी:

पात्रता

- राज्य के इच्छुक विद्यार्थियों को इस योजना के लिए आवेदन करने से पहले इन सभी पात्रता एवं मानदंडों को फॉलो करना होगा।
- इस योजना में आवेदन करने के लिए छात्र-छात्राओं को बिहार राज्य का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
- इस योजना के लिए केवल दसवीं कक्षा के प्रथम एवं दूसरा स्थान लाने वाले छात्र ही आवेदन कर सकते हैं।
- इस योजना के अंतर्गत आवेदक छात्रों के परिवार की वार्षिक आय 1 लाख 50 हजार रुपए या इससे कम होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ केवल गरीब परिवार के विद्यार्थियों को ही मिलेगा।
- इस योजना के लिए केवल अविवाहित बालक एवं बालिकाएं ही पात्र होंगे।
- आवेदक विद्यार्थी के पास अपना एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, एवं बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।

प्रक्रिया / दस्तावेज: दस्तावेज

- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- 10वीं का रिजल्ट / रजिस्ट्रेशन कार्ड
- बैंक खाता पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

Step1

- आवेदन करने के लिए सबसे पहले छात्र एवं छात्राओं की आधिकारिक वेबसाइट <http://edudbt.bih.nic.in/> पर जाना है।
- अब इसके होम पेज पर आपको मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन करके लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात एक न्यू पेज खुलेगा। इस पेज पर आपको टमतपलि छंउमंदक।बबवनदज कमजंपस के

विकल्प पर क्लिक करना होगा।

- अब अगले पेज पर आपको जिला का नाम और कॉलेज का नाम सेलेक्ट करके अपमू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
- अब एक नए पेज पर क्वेजतपबजॉपेमैजनकमदज स्पेज खुल जाएगा जिसमें आप अपना नाम चेक कर सकते हैं।

Step2

- यदि आपका नाम इस लिस्ट में है, तो आपको आवेदन करने के लिए **Click Here to Apply** के लिए पर क्लिक करना होगा।
- अब इस पेज पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और दसवीं में जितने नंबर आए हैं उसे दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको यहां कैप्चा कोड भरकर लॉगिन के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- इसके पश्चात आपको बैंक डिटेल्स पर क्लिक करना है।
- अब आपकी स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म खुल जाएगा, इस फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारी जैसे आवेदक का नाम, माता-पिता का नाम, बैंक अकाउंट विवरण, आधार नंबर आदि को दर्ज कर लेना है।
- अब इस आवेदन फॉर्म में सभी महत्वपूर्ण जानकारी भर लेने के बाद 'अम' के बटन पर क्लिक करें इसके बाद **Go To Home** के विकल्प का चयन कर लें।
- इसके बाद आवेदक को **Finalize Application** में क्लिक करना होगा।
- अब अगले पेज पर आपकी दिए गए ऑप्शन पर सही का निशान लगाना है, इसके बाद आवेदन फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दें।
- इस प्रकार आपके मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

सम्पर्क पता/अधिकारी: किसने शुरू किया बिहार सरकार सम्बंधित विभाग ई-कल्याण विभाग, बिहार

राज्य : बिहार

प्रपत्र: ऑनलाईन

श्रोत: अधिकारिक वेबसाइट : <https://medhasoft.bih.nic.in/Matric2020/eduBihar.aspx>

टिप्पणी: आवेदक बिहार का स्थाई निवासी होना आवश्यक है।

2.3 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यकों के लिए

2.3.1. मुसहर एवं भुइयां जाति के बच्चों को छात्रवृत्ति

विभाग :— अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, बिहार सरकार ।

विशेषताएँ :— अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा मुसहर जाति के लोगों में शिक्षा के प्रसार हेतु विशेष कार्यक्रम शुरू किया गया है। ये विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाए इसके लिए विशेष प्रोत्साहन का भी प्रयास किया गया है, जिसके अन्तर्गत 100/— प्रतिमाह वर्ग 1 से 6 के लिए प्रावधान किया गया है, ताकि वे छात्र/छात्राएं इससे प्रोत्साहित होकर विद्यालय जाएं और बीच में ही वे विद्यालय न छोड़े। वर्ष 2009—10 से भुइयां जाति को भी इस योजना में सम्मिलित किया गया है।

योजना के लाभार्थी :— मुसहर एवं भुइयां बालक—बालिका ।

संपर्क पता/अधिकारी :— ग्राम पंचायत/प्रखंड/जिला कार्यालय से संपर्क करें।

टिप्पणी :— मुसहर जाति के लोग में शिक्षा के प्रसार हेतु विशेष कार्यक्रम शुरू किया गया है।

प्रपत्र :— नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC)/वसुधा केन्द्र से भी ऑनलाईन कर सकते हैं।

स्त्रोत :— <https://hindi.nvshq.org/bihar-scholarship-scheme/>

2.4 सामाजिक कल्याण से जुड़े बिहार सरकार की योजनाएं

2.4.1. बिहार मुख्यमंत्री राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू की गई है। योजना के अनुसार बिहार राज्य के उन परिवारों को सहायता मिलेगी, जिनके परिवार में कोई भी मुखिया नहीं है या फिर उनके परिवार के सदस्य के कारण परिवार चलता है या फिर उस सदस्य की आकस्मिक मृत्यु हो चुकी हो या किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो इस स्थिति में राज्य सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके लिए मृत व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच की होनी चाहिए। इस योजना का लाभ लेने के लिए इस तरह के परिवार को बिहार मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना का लाभ ले सकते हैं।

विभाग :- समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार ।

विशेषताँ / लाभ :-

बिहार मुख्यमंत्री राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना की शुरुआत राज्य सरकार ने की है।

योजना के तहत लाभार्थी परिवारों को 20,000 /- दिए जाएंगे।

योजना का संचालन राज्य का परिवार कल्याण विभाग कर रहा है।

वह परिवार जिनके घर के मुखिया की मौत हो गई है, वह इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

योजना के आवेदन के लिए किसी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने होंगे। इसके लिए आवेदन घर बैठे ही किया जा सकेगा।

हालांकि इच्छुक लोग ऑफलाइन माध्यम से भी अप्लाई कर सकते हैं।

योजना के तहत दी जाने वाली राशि सीधा लाभार्थी के बैंक अकाउंट में भेज दी जाएगी। इसलिए धोखाधड़ी की संभावना खत्म हो गई है।

योजना के तहत मिली राशि के जरिए लाभार्थी परिवार की मुश्किलें आसान हो सकेगी।

उद्देश्य :-

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना मुख्य उद्देश्य राज्य के असहाय परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

योजना के तहत जिन परिवार के कमाने वाले मुखिया की मौत हो जाने की स्थिति में परिवार को 20,000 /- की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

योजना के लाभार्थी :-

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए बिहार का स्थायी निवासी होना जरूरी है।

योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले परिवारों का गरीबी रेखा से नीचे होना जरूरी है और परिवार 10 साल से बिहार में रह रहा हो।

NFBS के तहत मारे गए व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से 60 साल होना चाहिए तभी योजना का लाभ लिया जा सकेगा।

अगर लाभार्थी परिवार पहले से ही मिसी पेंशन योजना आदि का लाभ ले रहा है, तो वह इस योजना का पात्र नहीं होगा।

प्रक्रिया / दस्तावेज :- NFBS के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले आपको पंजीकरण करना जरूरी है। इसके लिए आपको राज्य की RTPS AND other Services की आधिकारिक वेबसाइट serviceonline.bihar.gov.in पर जाना होगा।

आवश्यक दस्तावेज :- पासपोर्ट साईज फोटो, बैंक पासबुक, जाति प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण, बी०पी०एल० राशन कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, आधार कार्ड आदि।

टिप्पणी :- जिस परिवार में कोई मुखिया नहीं है या फिर उनके परिवार के सदस्य आकस्मिक मृत्यु हो गयी हो, वो इस योजना का पात्र होंगे।

2.4.2. मुफ्त में बकरियाँ वितरण योजना

विभाग :- पशु एवं मत्स्य विभाग, बिहार सरकार

विशेषताएँ :- वर्ष 2015 में राज्य सरकार द्वारा इस योजना को प्रारंभ किया गया है। यह योजना 21 जिलों में 138 प्रखंडों में प्रारंभ की गई है।

योजना के लाभार्थी :- जीविका के गरीब सदस्य। प्रति गरीब सदस्य को तीन-तीन बकरियाँ (नश्ल बारबरी, ब्लैक बंगाल और यमुना पारी) दी जाती है। तीन बकरियों की कीमत लगभग 15 हजार रुपये अधिकतम होगी।

संपर्क पता / अधिकारी :- जीविका के स्थानीय पदाधिकारी अथवा जिला पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग से प्राप्त की जा सकेगी।

टिप्पणी :- वैसे महिलाओं की योजना दी जाती है, जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं।

प्रपत्र:- मुफ्त में बकरियाँ वितरण योजना के लिए आवेदन पत्र नीचे दिये गये स्रोत से प्राप्त करेंगे।

स्रोत:- www.bihar-bakri-palan-yojana/

2.4.3. माँब लिंगिग पीड़ित अनुदान योजना

विभाग :- गृह विभाग, बिहार सरकार ।

विशेषताएँ :- भीड़ द्वारा हत्या होने अथवा हानि पहुँचाने पर सरकार की ओर से निम्नलिखित प्रकार की मुआवजा दिया जाता है । यह स्कीम बिहार पीड़ित प्रतिकार स्कीम, 2014 का संशोधित 18 सितम्बर, 2018 है ।

योजना के लाभार्थी :- पीड़ित नागरिक के परिजन ।

क्र० सं०	अंतरित राशि (घटना के एक माह के भीतर उक्त राशि का भुगतान किया जायेगा। जिसका समायोजन अंतिम प्रतिकार राशि में किया जायेगा।	न्यूनतम मुआवजा की राशि	अधिकतम मुआवजा की राशि
1.	अवेध प्राणदंड एवं भीड़ द्वारा हत्या या हिंसा	1 लाख रुपये	3 लाख रुपये
2.	घोर उपहति भा.दं.वि. की धारा 320 में वर्णित	1 लाख रुपये	2 लाख रुपये
3.	उपहति और मनोवैज्ञानिक उपहति	10 हजार रुपये	25 हजार रुपये या वास्तविक जो अधिक हो ।
4.	भीड़ के दौरान आग द्वारा गंभीर उपहति होने पर	1 लाख रुपये	2 लाख रुपये
5.	उपहति द्वारा यदि पीड़ित उपार्जन में अक्षम हो गया हो या नियोजन के आयोग्य हो अथवा शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ हो जाए ।	1 लाख रुपये	2 लाख रुपये

संपर्क पता / अधिकारी :- अनुदान प्राप्त करने हेतु दावा-पत्र प्रखण्ड पदाधिकारी / जिला पदाधिकारी के कार्यालय में दाखिल किया जा सकता है ।

टिप्पणी :- आवेदक को आवेदन-पत्र लेने के लिए स्थानीय सरकारी निकायों (जैसे- ग्राम पंचायत, नगर पालिकाओं) से ले सकते हैं । फॉर्म को विधिवत भरकर उसी कार्यालय में जमा करना होगा ।

प्रपत्र:- नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC)/ वसुध केन्द्र से भी ऑनलाईन कर सकते हैं ।

स्रोत:- www.bihar-bakri-palan-yojana/

2.4.4. बिहार पीड़ित प्रतिकार स्कीम

विभाग :- गृह विभाग, बिहार सरकार ।

विशेषताएँ :- बिहार राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019 से पीड़ित मुआवजा की राशि में बदलाव किया गया है। इस योजना के तहत वर्ष 2014 में तेजाब हमला मुआवजा की राशि अधिकतम 3 लाख रुपया था। इसके बाद इस राशि को बढ़ाकर 7 लाख रुपया कर दिया गया। अब बिहार राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019 में पीड़ित मुआवजा राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपया कर दिया है। मुआवजे की बढ़ी हुई राशि का वहन बिहार राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

योजना के लाभार्थी :- नागरिक (बिहार)। किसी अपराध से पीड़ित व्यक्ति के लिए न्यायालय द्वारा सिफारिश की गई हो या अपराधी का पता नहीं लगा है किन्तु पीड़ित की पहचान की गई है और जहाँ ट्रायल शुरू हुआ है।

Special Courts Under Section 33 (8) of POSCO act,-12 and Rules (7) of the POSCO Rules, 2012

SCHEDULE APPLICABLE TO WOMEN VICTIMS OF CRIME

Sl. No.	Particular of Loss and Injury	Minimum Limit of Compensation	Upper Limit of Compensation
1.	Loss of life	₹ 5 Lakh	₹ 10 Lakh
2.	Gang Rape	₹ 5 Lakh	₹ 10 Lakh
3.	Rape	₹ 4 Lakh	₹ 7 Lakh
4.	Un-natural Sexual Assault	₹ 4 Lakh	₹ 7 Lakh
5.	Loss of any Limb or part of body resulting in 80% permanent disability or above.	₹ 2 Lakh	₹ 4 Lakh
6.	Loss of any limb or part of body resulting in 40% and below 80% permanent disability.	₹ 2 Lakh	₹ 5 Lakh
7.	Loss of any lime or part of body resulting in above 20% and below 40% permanent disability.	₹ 1 Lakh	₹ 3 Lakh
8.	Loss of any limb or part of body resulting in below 20% permanent disability.	₹ 1 Lakh	₹ 2 Lakh
9.	Grievous physical injury or any mental injury requiring rehabilitation.	₹ 1 Lakh	₹ 2 Lakh
10.	Loss of Foetus i.e. Miscarriage as a result of Assault or loss of fertility.	₹ 1 Lakh	₹ 2 Lakh
11.	In case of pregnancy on account of rape	₹ 3 Lakh	₹ 4 Lakh
12.	Victim of Burning		
	a. In case of disfigurement of face	₹ 7 Lakh	₹ 8 Lakh
	b. In case of more than 50%	₹ 3 Lakh	₹ 7 Lakh
	c. In case of injury less than 50%	₹ 3 Lakh	₹ 7 Lakh
	d. In case of less than 20%	₹ 2 Lakh	₹ 3 Lakh
	Victim of Acid Attack		
	a. In case of disfigurement of face	₹ 7 Lakh	₹ 8 Lakh
	b. In case of more than 50%	₹ 5 Lakh	₹ 5 Lakh
	c. In case of injury less than 50%	₹ 3 Lakh	₹ 5 Lakh
	d. In dcase of less than 20%	₹ 3 Lakh	₹ 4 Lakh

Note :- *If a woman victim of sexual assaulted attach is covered under one or more category of the schedule, she shall be entitled to be considered for combined value of the compensation.*

सम्पर्क पता / अधिकारी :- अनुदान प्राप्त करने हेतु दावा-पत्र प्रखण्ड पदाधिकारी / जिला पदाधिकारी के कार्यालय में दाखिल किया जा सकता है।

टिप्पणी :- आवेदक को आवेदन-पत्र लेने के लिए स्थानीय सरकारी निकायों जैसे- ग्राम पंचायत, नगर पालिकाओं का दौरा करना होगा। फॉर्म को विधिवत भरकर कार्यालय में जमा करना होगा।

2.4.5. मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना

विभाग :- मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार सरकार ।

विशेषताएँ :- इस बिहार मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना का मुख्य लक्ष्य दिव्यांगजनों को सशक्तिरण करना है। इस योजना के अंतर्गत बिहार राज्य सरकार द्वारा 10,000/- दिव्यांगजनों को बैटरी चालित ट्राईसाइकिल देने का लक्ष्य बनाया है। इस बिहार मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना 5 साल से अधिक आयु वाले तथा 40 प्रतिशत दिव्यांगता वाले आवेदक को कृत्रिम अंग व उपकरण वितरण करना तथा इस साल योजना के अनुसार 80 प्रतिशत की जगह 60 प्रतिशत से विकलांग प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा बिहार मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना का लाभ उठा सकें। मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना के अनुसार वर्ष 2022-23 में 10,000/- दिव्यांगजनों को बैटरी ट्राईसाइकिल दी जाएगी।

योजना के लाभार्थी :-

- इस योजना के लाभार्थी को बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- लाभार्थी विकलांग होना चाहिए।
- आवेदन करने वाला लाभार्थी 60 प्रतिशत से ज्यादा विकलांग होना चाहिए।
- आवेदन करने वाले की वार्षिक आय 2 लाख तक होनी चाहिए।
- आवेदक की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- ऐसे दिव्यांगजन छात्र व छात्राओं को बैटरी चालित ट्राईसाइकिल दी जाएगी, जिनका बिहार राज्य में महाविद्यालय परिसर उनके आवास से सम से कम 3 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी होगा।
- ऐसे दिव्यांगजन जिनका स्वयं का रोजगार हो और परिवार में कमाने वाले सदस्य हो और उनका अपने आवास से रोजगार करने की जगह कम से कम 3 किलोमीटर या उससे अधिक हो उन्हें ही बैटरी चालित ट्राईसाइकिल दी जाएगी।

प्रक्रिया / दस्तावेज :- नीचे बताई गई स्टेप को फॉलो करें :-

1. इस आवेदन के लिए आप बिहार राज्य समाज कल्याण विभाग ऑनलाइन सर्विसेज पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट www.online-bih.nic.in पर जाए।
2. होम पेज पर जाकर “मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छात्र योजना अंतर्गत सम्बल योजना में ऑनलाईन आवेदन करें” विकल्प पर क्लिक करें।
3. उसके बाद आपके सामने एक नया पेज आयेगा जहाँ आपको Registration is mandatory of e-filling up the form [Click here to register] विकल्प पर क्लिक करें।
4. अब आपके सामने एक आवेदक फॉर्म आयेगा जहाँ आपको बैटरी चालित ट्राई साइकिल प्राप्त करने

का उद्देश्य / प्रयोजन, लाभार्थी का नाम, पिता/पति का नाम, जन्म तिथि (18 वर्ष या उससे अधिक), शारीरिक विकलांग, शारीरिक रूप से विकलांग की श्रेणी, लिंग, श्रेणी, गृह जिला, आधार के अनुसार नाम, आधार के अनुसार जन्म का वर्ष, आधार नंबर, ईमेल, मोबाईल नंबर, पासवर्ड व कोड दर्ज करके रजिस्टर पर क्लिक करके फॉर्म को सबमिट कर दें।

5. उसके बाद वापस से होम पेज में जाकर लॉग इन पर क्लिक करें और वहां यूजर आई.डी. पासवर्ड और कोड दर्ज करके लॉग इन पर क्लिक करें।
6. इसके बाद आपके सामने एक आवेदक फॉर्म खुलेगा जहाँ आपको पूछी गई सारी जानकारी दर्ज करके आवश्यक दस्तावेज को अपलोड करें।
7. अंत में सबमिट विकल्प पर क्लिक कर दें।
8. इस तरह से आप बिहार मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना 2023 के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।

आवश्यक दस्तावेज :- आधार कार्ड, दिव्यांग प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, वोटर आई.डी.कार्ड, फोटो (पासपोर्ट साइज), मोबाईल नंबर, बैंक खाता, पासबुक, रोजगार संबंधित प्रमाण पत्र, महाविद्यालय का आई.कार्ड, ईमेल आई डी ।

सम्पर्क पता/अधिकारी :- जिला/प्रखण्ड पदाधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं। Helpline Number : 0612-2200125 (Working on Mon-Fri 9:30 am to 6:00 Pm except ihar Govt Holidays).

Email Id : diremppd-bih@gov.in

टिप्पणी :- आवेदक को आवेदन पत्र लेने के लिए स्थानीय सरकारी निकायों जैसे ग्राम पंचायत, नगर पालिकाओं का पास से ले सकते हैं। फॉर्म को विधिवत भरकर उसी कार्यालय में जमा करना होगा।

2.4.7. बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार योजना

संगठित निर्माण मजदूरों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 एवं भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण कर्मकार अधिनियम 1996 केन्द्र सरकार द्वारा बनाया गया है। राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त प्रथम कानून को लागू करने के लिये, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) नियमावली, 2005।

विभाग :- श्रम संसाधन विभाग, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, बिहार सरकार।

विशेषताएँ :- पंजीकृत निर्माण श्रमिकों का योजना से प्राप्त होने वाली सुविधाएँ :-

- दुर्घटना के मामले में वित्तीय सहायता।
- 60 साल के बाद पेंशन, गृह निर्माण हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है।
- आवेदक को 20/- निबंधन शुल्क के रूप में तथा 5 वर्षों के लिए 50 पैसे प्रतिमाह की दर से 5 वर्षों के कुल 50/- जमा करना अनिवार्य है।

योजना के लाभार्थी :- बिहार राज्य में निर्माण कार्य में निम्न कोटि के असंगठित कामगार आते हैं :-

1. भवन निर्माण एवं सड़क निर्माण कार्य में संलग्न अकुशल कोटि के कामगार
2. राज मिस्त्री
3. राज मिस्त्री का हेल्पर
4. बढ़ई
5. लोहार
6. पेंटर
7. भवन में बिजली एवं संलग्न कार्य करने वाले इलेक्ट्रिशियन
8. भवन में फर्श/फ्लोर टाइल्स का कार्य करने वाले मिस्त्री तथा उसके सहायक
9. सेंट्रिंग एवं लोहा बांधने का कार्य करने वाले
10. गेट ग्रिल एवं वेल्डिंग का कार्य करने वाले
11. कंक्रीट मिश्रण करने वाले, कंक्रीट मिक्सर मशीन चलाने वाले तथा कंक्रीट मिक्स ढोने वाले
12. महिला कामगार (रेजा) जो सीमेन्ट, गारा मिक्स ढोने का कार्य करती है
13. रौलर चालक
14. सड़क पुल एवं बांध निर्माण कार्य में लगे मजदूर
15. सड़क, पुल, बांध भवन निर्माण कार्य में विभिन्न आधुनिक यंत्रों को चलाने वाले मजदूर
16. बांध, पुल, सड़क या भवन निर्माण कार्य में लगे चौकीदार
17. भवन निर्माण में जल प्रबंधन का कार्य करने वाले प्लम्बर, फीटर इत्यादि

18. ईंट निर्माण एवं पत्थर तोड़ने के कार्य में लगे मजदूर

19. रेलवे, टेलिफोन, हवाई अड्डा इत्यादि

20. मनरेगा कार्यक्रम के अन्तर्गत (बागवानी एवं वानिकी को छोड़कर) उपरोक्त सभी कार्य महत्वपूर्ण हैं। इसमें बढ़ोतरी हो सकती है।

प्रक्रिया/दस्तावेज :— निर्माण कामगारों का पंजीयन

(क) कल्याण बोर्ड से संचालित योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु निर्माण श्रमिकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीयन कराना आवश्यक है। पंजीयन के पश्चात् ही उन्हें किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त हो सकता है।

(ख) वैसे निर्माण कामगार जिनकी उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच है कल्याण बोर्ड के सदस्य बन सकते पदाधिकारी, जो सहायक सिविल सर्जन के स्तर से नीचे का नहीं हो द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र अथवा आधार कार्ड मान्य है।

(ग) आवेदक को पूर्व के वर्ष में न्यूनतम 90 दिनों तक कार्य करने का प्रमाण पत्र देना होगा। यह प्रमाण पत्र नियोजक/संवेदक/भवन निर्माण मजदूर संघ/सहायक श्रमायुक्त/उप श्रमायुक्त/श्रम अधीक्षक/श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी द्वारा दिया गया होना आवश्यक है। आवेदन पत्र पर भी कार्य रोजगार सेवक द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र पर अंकित कराना होगा।

आवेदक को रुपये 20/- निबंधन शुल्क के रूप में एवं 05 वर्षों तक के लिए अंशदान शुल्क कुल रुपये 50/- तथा दो (02) फोटो, उम्र को प्रमाणित करने हेतु प्रमाण पत्र जिसमें आधार कार्ड अनिवार्य होगा एवं बैंक खाता की छाया प्रति (IFSC सहित) विहित आवेदन पत्र के साथ जमा करना होगा। निबंधन 05 वर्षों के लिए विधिमान्य होगा 05 वर्षों की सदस्यता अवधि बीत जाने के पश्चात्, यदि निर्माण श्रमिक सदस्यता बहाल रखने की अहर्ता रखते हैं तो अगले 05 वर्षों के लिए नवीकरण हेतु निर्धारित मासिक अंशदान जमाकर कर सकते हैं। यदि निर्माण श्रमिक की उम्र 55 वर्ष या उससे अधिक की होगी तो उनकी सदस्यता/नवीकरण अधिकतम 60 वर्ष के उम्र तक के लिए ही की जा सकेगी तथा उसी अनुरूप मासिक अंशदान स्वीकार की जायेगी। यदि निबंधित निर्माण श्रमिक की सदस्यता समय अंशदान जमा न करने के कारण टूट गई हो तो सदस्यता में इस टूट को निबंधन पदाधिकारी के द्वारा पुर्नजीवित किया जा सकता है बशर्ते कि निर्माण श्रमिक टूट की अवधि का बकाया अंशदान पचास पैसे प्रतिमाह की दर से बोर्ड के कोष में जमा कर दे। परन्तु इस प्रकार सदस्यता दो बार से अधिक पुर्नजीवित नहीं किया जायेगा। पूर्व में बोर्ड में निबंधित सभी कामगार जिनका अंशदान जमा न करने के कारण सदस्यता में टूट हो गई है, का भी पचास पैसे प्रतिमाह की दर से बकाया अंशदान जमा करके सदस्यता पुर्नजीवित किया जा सकेगा।

निबंधन हेतु पत्र बोर्ड के Website : www.bocw-bihar.in पर या पंचायत रोजगार सेवक/श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी से प्राप्त किया जा सकता है।

संपर्क पता/अधिकारी :— श्रम संसाधन विभाग, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड नियोजन भवन, बिहार सरकार, पटना-800001, दूरभाष:- 0612-2525558, ई-मेल- biharbhawan111@gmail.com, मा० मंत्री श्रम संसाधन विभाग कोषांग, दूरभाष : 0612-2528450, वेबसाइट : www.bocw-bihar.in

टिप्पणी :— नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या वसुधा केन्द्र से पता कर सकते हैं।

2.4.8. अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूर योजना

विभाग :- श्रम विभाग, बिहार सरकार ।

विशेषताएँ :- दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु अथवा दुर्घटना के कारण 180 दिनों के अन्तर्गत मृत्यु की दशा में उनके आश्रित को 1,00,000 /— (रुपये एक लाख) मात्र के अनुदान भुगतये होगा । दिनांक 01.04.2011 के प्रभाव से दुर्घटना के फलस्वरूप स्थायी पूर्ण अपंगता की स्थिति में 75,000 /— (रुपये पचहत्तर हजार) एवं स्थायी आंशिक अपंगता की स्थिति में 37,500 /— (रुपये सैंतीस हजार पाँच सौ) प्रवासी मजदूर को अनुदान के रूप में देय होगा ।

योजना के लाभार्थी :- सभी मजदूर जो बिहार राज्य से दूसरे राज्य में किसी संविदा या अनय व्यवस्था के तहत नियोजन हेतु जाते हैं ।

1. राज्य के बाहर काम करने वाले असंगठित मजदूर जो बिहार राज्य के अधिवासी हों ।
2. प्रवासी मजदूर की आयु 18 से 65 वर्ष के बीच हो ।

इस योजना के अंतर्गत आने वाली दुर्घटना की सूची :-

- ट्रेन या सड़क दुर्घटना, विद्युत स्पर्शघात, साँप काटना, पानी में डूबना, आग, वृक्ष अथवा भवन से गिर जाना, जंगली जानवरों द्वारा प्रहार आतंकवादी अथवा अपराधिक आक्रमण आदि से हुई दुर्घटना इस योजना में शामिल हैं ।
- स्वेच्छा से लगाई गई चोट / आत्महत्या / मादक द्रव्यों / पदार्थ के सेवन से हुई मृत्यु अथवा दुर्घटना में सम्मिलित नहीं है ।

संपर्क पता / अधिकारी :- अनुदान प्राप्त करने हेतु दावा-पत्र प्रखण्ड पदाधिकारी / श्रम अधीक्षक / जिला पदाधिकारी के कार्यालय में दालिख किया जा सकता है । योजना की विस्तृत जानकारी हेतु विभागीय हेल्प लाईन नं.— 0612-2231918, 9431072384, 9470834781, 0612-2215559 / 09431019731 / 0612-2213855 पर संपर्क करें ।

टिप्पणी :- आवेदक को आवेदन पत्र लेने के लिए स्थानीय सरकारी निकायों जैसे ग्राम पंचायत, नगर पालिकाओं के पास से ले सकते हैं । फॉर्म को विधिवत भरकर उसी कार्यालय में जमा करना होगा ।

प्रपत्र :- अधिक जानकारी के लिए विभागीय हेल्प लाइन नंबर से संपर्क करे: 0612-2231918, 2215559, 9431072384, 9470834781, 9431019731

2.4.10. अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूर योजना

विभाग :- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार।

विशेषताएँ :- अल्पसंख्यक कामगार व्यक्ति उम्र 18 से 45 वर्ष, वार्षिक आय 4.50 लाख से ज्यादा नहीं हो। अल्पसंख्यक कामगारों के विशेष प्रशिक्षण, निःशुल्क दिया जाता है। प्रशिक्षण प्राप्त कामगारों को कम से कम 50,000/- बैंको द्वारा साधारण ब्याज पर ऋण दिया जाता है।

योजना के लाभार्थी :- केवल अल्पसंख्यकों के लिए।

प्रक्रिया/दस्तावेज:- बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के माध्यम से वर्तमान में यह प्रशिक्षण सेन्ट्रल इन्स्टीच्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, हाजीपुर और रेमण्ड का पटना में व्यवस्था की गयी है। साथ में ड्राईविंग की भी ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रशिक्षुओं का चयन विज्ञापन निकाल कर जिला स्तरीय कमिटी करती है।

संपर्क पता/अधिकारी :- जिला/प्रखण्ड अधिकारी से संपर्क करें:- Bihar State Minorities Financial Corporation Ltd. (BSMFC), Haj Bhawan, Patna, Phone: 0612&2204975, Fax : 0612-2215994, Toll Free No.: 18003456123, Email : minocorpatna@gmail.com, bsmfclpatna-bih@gov.in

टिप्पणी :- इस योजना के तहत अल्पसंख्यक वर्ग के बेरोजगार युवकों को पहले राज्य सरकार की तरफ से किसी कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है।

2.4.11. बिहार गृह वास स्थल योजना

विभाग :- ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार।

विशेषताएँ :- गरीब निर्धन परिवारों को आवास निर्माण हेतु जमीन खरीदने के लिए सहायता राशि प्रदान करना। राज्य के वासभूमि विहीन सुयोग्य श्रेणी (अनुसूचित जाति महादलित को छोड़कर) अनुसूचित जनजाति, पिछली जाति एनेक्चर-1 तथा एनेक्चर-2 के परिवारों को वासभूमि उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्प है। सर्वप्रथम वासभूमि रहित सुयोग्य श्रेणी के परिवारों को सरकारी भूमि तथा गैरमजरूआ मालिक, गैरमजरूआ आम, भूहदबंदी से अतिरेक अर्जित भूमि की बंदोबस्ती तथा बी०पी०पी०एच०टी० एक्ट के तहत पर्चा द्वारा वास भूमि उपलब्ध करायी जाती है, तथापि सुयोग्य श्रेणी के सभी वासरहित परिवारों को इनसे अच्छादित नहीं किया जा सकता है।

अतः राज्य सरकार द्वारा सभी वासभूमि रहित सुयोग्य श्रेणी के परिवारों को वासभूमि उपलब्ध कराने संकल्प को मूर्त रूप देने के लिए राज्य में गृहस्थल योजना चलायी जा रही है। गृहस्थल योजना के अन्तर्गत वैसे वासभूमि रहित सुयोग्य श्रेणी के परिवार जिन्हें सरकारी भूमि से आच्छादित नहीं किया जा सकता है उन्हें रैयती भूमि उर्जन कर 3 (तीन) डिसमल प्रति परिवार वासभूमि उपलब्ध करायी जाती है।

भू-अर्जन एक जटिल (Complex) प्रक्रिया है जिसमें कई स्तर पर वैधानिक अवधि (Statutory Period) नियत है। साथ ही भू-अर्जन में भू-मालिक की रजामंदी आवश्यक नहीं है जिससे कभी-कभी दाखिलदिहानी की समस्या अदभूत होती है जो सामाजिक सौहार्द पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।

अतः सामाजिक ताना-बाना को अक्षुण्ण रखते हुए त्वारित गति से वासभूमि रहित सुयोग्य श्रेणी के परिवारों को वास भूमि उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा गृह स्थल योजनान्तर्गत रैयती भूमि क्रय कर वासभूमि उपलब्ध कराने की योजना है।

क्रय प्रक्रिया के लाभ-राज के ग्रामीण क्षेत्रों में वासभूमि रहित सुयोग्य श्रेणी के परिवारों के आवासीय निम्नांकित लाभ परिकल्पित हैं:-

1. लाभुक अपनी इच्छा अभिरुचि एवं आवश्यकता के अनुसार भूमि का चयन कर सकेंगे, जिसमें क्रेता-विक्रेता दोनों की रजामंदी रहेगी।
2. त्वारित रूप से प्रश्नगत भूमि विक्रेता द्वारा क्रेता को न्तरित की जा सकेगी।
3. परस्पर सहमति से क्रय-विक्रय की व्यवस्था से क्रयोपरान्त क्रेता की दखल-दिहानी सुगम होगी।
4. भूमि अर्जन की प्रक्रियात्मक जटिलता से मुक्ति होगी तथा वापस हेतु भूमि उपलब्ध कराना सुगम होगा। राज्य के वासभूमि विहीन सुयोग्य श्रेणी के परिवारों को वासभूमि मुख्यतः गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ मालिक/खास एवं बी०पी०पी०एच०टी० एक्ट के तहत बन्दोबस्ती द्वारा वासभूमि उपलब्ध करायी जाती है। ऐसे भूमि विहीन सुयोग्य श्रेणी के परिवार जिन्हें उक्त तीनों स्त्रोतों से वासभूमि उपलब्ध कराना

संभव नहीं होती है, उन्हें रैयती भूमि की क्रय नीति, 2011 राज्य में लागू की गई है।

इस स्थिति के अंतर्गत 60,000 /— के वित्तीय अधिसीमा के अंतर्गत 3 डी० रैयती भूमि क्रय कर वास भूमि विहीन सुयोग्य श्रेणी के परिवारों को वासगीत उपलब्ध कराया जाता है। इन नीति के अंतर्गत भूमि का चयन लाभूक वासभूमि विहीन सुयोग्य श्रेणी के परिवार के द्वारा किया जाता है। एवं अंचलाधिकारी की भूमिका (Facilitator) की होती है। इस नीति के अंतर्गत भूमि का क्रय त्रिपक्षीय विक्रय पत्र के आधार पर की जाती है। जिसमें एक पक्ष भूमि का विक्रेता का दूसरा पक्ष अंचल अधिकारी के माध्यम से सरकार तथा तृतीय पक्ष संबंधित वासभूमि विहीन सुयोग्य श्रेणी का परिवार होता है। यह राशि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के द्वारा उपलब्ध करायी जाती है।

योजना के लाभार्थी :- राज्य के वासभूमि विहीन सुयोग्य श्रेणी (अनुसूचित जाति (महादलित को छोड़कर) अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति एनेक्सर-1 तथा एनेक्सर-2) के परिवारों को शामिल किया गया है, जिनके पास घर बनाने के लिए किसी भी प्रकार की कोई भूमि उपलब्ध नहीं है वह इस योजना के लाभ ले सकते हैं।

प्रक्रिया/दस्तावेज :- जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, वोटर आईडी कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, शपथ पत्र।

संपर्क पता/अधिकारी :- अनुदान प्राप्त करने हेतु दावा-पत्र प्रखण्ड पदाधिकारी/जिला पदाधिकारी के कार्यालय में दाखिल किया जा सकता है।

टिप्पणी :- आवेदक को आवेदन-पत्र लेने के लिए स्थानीय सरकारी निकायों जैसे- ग्राम पंचायत, नगर पालिकाओं के पास से ले सकते हैं। फॉर्म को विधिवत भरकर उसी कार्यालय में जमा करना होगा।

प्रपत्र :- नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC)/वसुध केन्द्र से भी ऑनलाईन कर सकते हैं।

स्रोत :- अधिक जानकारी के लिए देखें [https://lrc.bhic.nic.in/Circulars/Circulars172\(8\).pdf](https://lrc.bhic.nic.in/Circulars/Circulars172(8).pdf)

2.4.12. महादलित शौचालय निर्माण योजना

विभाग :- अनुसूचित जाति/जनजाति, बिहार सरकार।

विशेषताएँ :- शौचालय निर्माण के लिए महादलित परिवारों को अनुदान राशि सहयोग की जा रही है। शौचालय निर्माण का कार्यक्रम पी०एच०डी० विभाग द्वारा संचालित स्वयं सेवी संगठनों के द्वारा कराया जा रहा है। वर्तमान समय में शौचालय निर्माण के लिए 12,000/- अनुदान राशि दिया जाता है। मनरेगा के तहत 300/- लागत तक कार्य कराया जाता है।

योजना के लाभार्थी :- महादलित समुदाय के सदस्यगण।

सम्पर्क पता/अधिकारी :- जिला परियोजना पदाधिकारी-सह-जिल कल्याण पदाधिकारी/अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी/प्रखंड कल्याण पदाधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।

टिप्पणी :- सभी महादलित को उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए समाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूप से सशक्त बनाते हुए समाज निर्माण में उनकी पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करना।

2.4.13. कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना

विभाग: समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार

2. विशेषताएँ: कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना का मुख्य उद्देश्य किसी परिवार में मृत्यु हो जाने की स्थिति में उन्हें दाह संस्कार करने हेतु आर्थिक सहायता राशि प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को 3 हजार रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। बहुत दफा यह देखा जाता है कि राज्य में बहुत से ऐसे नागरिक मौजूद हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिनके पास अपनी दैनिक जरूरतों को पूर्ण करने तक का कोई साधन नहीं होता है, इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए झंझपत।दजमलमौजप।दनकंद ल्वरंदं 2023 को राज्य सरकार द्वारा आरंभ किया गया है। इस योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है, इसके अतिरिक्त इस योजना के अंतर्गत लाभ की राशि को मृतक के रिश्तेदार अथवा संबंधी को प्रदान किया जाएगा।

इस योजना के अंतर्गत बी.पी.एल. परिवार के किसी भी आयु के व्यक्ति की मृत्यु पर उसके अन्त्येष्टि क्रिया हेतु परिवार को 3,000/- रु. की एकमुश्त सहायता दी जाती है। इस योजना के त्वरित भुगतान हेतु मुखिया, वार्ड कमिश्नर के पास 07 मामलों के लिए नकद राशि रु. 21,000/- हमेशा उपलब्ध रहता है तथा उनके खाते में 15 मामलों के भुगतान हेतु राशि उपलब्ध रखी जाती है।

3. योजना के लाभार्थी: बिहार सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवार को लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त ऐसे परिवार जिसमें किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति के परिजनों को अंत्येष्टि हेतु 3 हजार रुपए की राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत केवल बीपीएल परिवार में आने वाले ऐसे परिवार की पात्र होंगे जो अपना जीवन गरीबी रेखा से नीचे व्यतीत कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत करीब 1715 हितग्राहियों को साल 2020-21 में लाभ प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ग्राम पंचायत को राज्य सरकार द्वारा पहले ही 15 रुपए प्रदान कर दिए जाएंगे जिससे समय पर सभी योग्य और पात्र परिवारों को लाभ की राशि प्रदान की जा सके। कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना 2023 का लाभ बिहार सरकार द्वारा अब तक बहुत से परिवारों को प्रदान किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त यहां बताते चले कि इस योजना का लाभ केवल बिहार राज्य के नागरिकों को किया जाएगा। राज्य के सभी आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को आर्थिक सहायता करने हेतु इस योजना को आरम्भ किया गया है, बिहार सरकार द्वारा आरंभ यह एक विशिष्ट योजना है।

4. प्रक्रिया/दस्तावेज: मृतक का आधार कार्ड बैंक अकाउंट संबंधित विवरण बीपीएल राशन कार्ड की फोटो कॉपी मृत्यु प्रमाण पत्र

5. सम्पर्क पता/अधिकारी: पंचायत कार्यालय में जाकर वहां के अधिकारी से संपर्क करना होगा। इसके बाद आपको अधिकारी से कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त कर लेना है अब आपको इस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को सही सही दर्ज कर देना है, इसके बाद आपका फॉर्म में मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेजों को भी अटैच कर देना है। इसके बाद आपको यह फॉर्म पंचायत कार्यालय में ही जमा कर देना है उसके अब आपके आवेदन का सत्यापन किया जाएगा, सत्यापन पूर्ण होने के कुछ दिनों के पश्चात ही

नागरिकों को इस योजना की लाभ की राशि प्रदान कर दी जाएगी।

6. प्रपत्र:— नजदीकी कॉमन सर्विस सेन्टर (CSC)/ वसुधा केन्द्र से भी ऑनलाईन कर सकते हैं।

7. श्रोत: ऑफलाइन/ऑनलाइन Kabir Anteyeshti Anudan Yojana

8. टिप्पणी: आवेदन कॉमन सर्विस सेन्टर से ऑनलाइन कर सकते हैं।

2.4.14. जन्म प्रमाण पत्र

1. **विभाग:** जन्म योजना वाणिज्य और सांख्यिकी विभाग

2. **विशेषताएँ:** जन्म प्रमाण पत्र एक प्रकार का दस्तावेज है, जो व्यक्ति के जन्म के बाद बनाया जाता है। यह सरकार द्वारा प्रमाणित होता है। सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के लाभ लेने के लिए जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। जैसे आधार पंजीकरण, स्कूल में नामांकन, कन्या सुरक्षा योजना, मतदाता सूची में नाम जोड़ना, सरकारी/गैर सरकारी नौकरियों में उम्र सीमा का लाभ, पासपोर्ट बनवाने, बैंक खाता खोलने हेतु आदि। जन्म से लेकर किसी भी उम्र तक जन्म प्रमाण पत्र बनवाया जा सकता है।

3. **योजना के लाभार्थी:** आवेदक भारत का नागरिक हो।

4. **प्रक्रिया/दस्तावेज:** शपथ पत्र, जन्म के समय का हॉस्पिटल का डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र।

5. **सम्पर्क पता/अधिकारी:** जन्म प्रमाण पत्र बनवाने हेतु प्रखण्ड, नगर परिषद्, नगर निगम या पंचायत सचिव से संपर्क करें।

6. प्रपत्र:

7. **श्रोत:** <http://crsorgi.gov.in/>

8. **टिप्पणी:** जन्म से 14 दिनों के अंदर सामान्य सुविधा केन्द्र से ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है।

1.5.15. मृत्यु प्रमाण-पत्र

1. **विभाग:** अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

2. **विशेषताएँ:** बहुत सारे दस्तावेजों में मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना आवश्यक होता है और इससे लाभ मिलता है।

3. **योजना के लाभार्थी:** यह पारिवारिक लाभ, अनुदान प्राप्ति, मृतक के परिवार/नामिती को पेंशन, बैंक से पूर्व की बचत राशि की निकासी, विधवा पेंशन की प्राप्ति, जमीन जायदाद के बटवारे में सहायक होता है।

4. **प्रक्रिया/दस्तावेज:** मृत्यु प्रमाण पत्र चिकित्सा अधिकारी/जन्म मृत्यु निबंधक द्वारा जारी होता है, जो किसी व्यक्ति की मृत अवस्था को प्रमाणित करता है, साथ ही मृतक के विवरण को एक रजिस्टर में दर्ज किया जाता है।

आवश्यक:

हॉस्पिटल के द्वारा निर्गत मृत्यु की पुष्टि।

घर में या अचानक मृत्यु होने पर मुखिया/वार्ड पार्षद के द्वारा सत्यापन की प्रति।

विलम्ब होने पर न्यायालय के द्वारा निर्गत शपथ पत्र।

आवेदन

5. सम्पर्क पता/अधिकारी: आवेदन के लिए पंचायत सचिव/प्रखंड कार्यालय/नगर निगम से संपर्क करें। कॉमन सर्विस सेंटर द्वारा ऑनलाईन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है।

6. प्रपत्र: फॉर्म-6

7. श्रोत: जन सूचना पुस्तिका

8. टिप्पणी: आवेदक को आवेदन पत्र लेने के लिए स्थानीय सरकारी निकायों जैसे ग्राम पंचायत, नगर पालिकाओं का दौरा करना होगा। फॉर्म को विधिवत भरकर उसी कार्यालय में जमा करना होगा।

2.4.20. जल जीवन हरियाली

विभाग: कृषि विभाग, बिहार सरकार ।

विशेषताएँ: बिहार सरकार द्वारा पर्यावरण को संतुलित रखने एवं प्रकृति में हरियाली बनाए रखने के उद्देश्य से जल जीवन हरियाली योजना को शुरू किया गया है। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2019 में की गई थी और पिछले 2 साल में एक करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। जल जीवन हरियाली योजना की शुरुआत बिहार राज्य में पेड़ों का रोपण एवं पोखरों और कुओं का निर्माण करने के लिए किया गया है। इस योजना का निर्माण पोखरों, कुओं, तालाबों का निर्माण किया जाएगा तथा सरकार द्वारा इन स्त्रोंतों का मरम्मत भी किया जाएगा। इसके अन्तर्गत किसानों को खेतों की सिंचाई कार्य के लिए 75,500/- की सब्सिडी मदद राशि के रूप में प्रदान की जाएगी। इससे किसानों को काफी लाभ होगा। इसे 2019-20 में तीन साल के लिए शुरू किया गया था और अब इसे और 3 वर्षों के लिए बढ़ा दी गई है।

योजना के लाभार्थी :-

- इस योजना के अन्तर्गत बिहार राज्य के सभी किसानों को लाभ प्रदान किया जाएगा।
- राज्य के किसानों को सरकार द्वारा तालाब, कुओं का निर्माण, खेती की सिंचाई जैसे कार्य के लिए 75,500/- सब्सिडी आर्थिक सहायता।
- 1 एकड़ कृषि योग्य भूमि है और उसपर खेती करना चाहते हैं।
- 5 हेक्टेयर के से अधिक रकबे में करना चाहते हैं, उन्हें अधिक सब्सिडी दी जाएगी।

प्रक्रिया/दस्तावेज :-

- आवेदक बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए।
- इस योजना के तहत एक किसान को कम से कम 1 एकड़ खेती की सिंचाई के लिए सब्सिडी दी जाएगी।
- एक एकड़ से कम भूमि पर सामूहिक रूप से सिंचाई के लिए आवेदन किया जा सकता है।
- जल जीवन हरियाली योजना के तहत किसानों को दो वर्गों में बाँटा गया है— व्यक्तिगत और सामूहिक।
- व्यक्तिगत श्रेणी में आवेदन करने हेतु आवेदक के पास न्यूनतम एक एकड़ भूमि होनी चाहिए।
- वैसे किसान जो इस योजना का लाभ 5 हेक्टेयर से अधिक रकबे में एक साथ भूमि होनी चाहिए वास्तविक लागत की की पूरी सब्सिडी सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी।
- आवेदक का आधार कार्ड

- निवास प्रमाण पत्र
- इनकम सर्टिफिकेट
- जमीन के कागजात
- राशन कार्ड
- बैंक खाता पासबुक
- पहचान पत्र
- मोबाईल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो

संपर्क पता/अधिकारी :- कृषि पदाधिकारी। इसके अतिरिक्त आप अधिकारिक वेबसाईट पर जाकर संपर्क नंबर प्राप्त कर सकते हैं।

टिप्पणी :- किसानों को तालाब, पोखर, कुओं का निर्माण, सिंचाई आदि के लिए सब्सिडी प्रदान करना।

प्रपत्र :- नजदीकी (CSC) सेंटर से ऑनलाइन कर सकते हैं।

स्त्रोत:- हेल्पलाइन नंबर : 0612-2233555,

Email ID : dbtcellagri@gmail.com, dbtagriculture.bihar.gov.in



18 वर्ष से कम आयु के असहाय अनाथ बच्चों के लिए

परवारिश
योजना के तहत
प्रत्येक महीने 1000 रुपये

बिहार सरकार देगा ।

कन्या उत्थान योजना

Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana
(PMMVY)

बेटी को मिलेगी
आर्थिक सहयोग

